

ज्ञानशौर्यम्



ISSN : 2582-0095

**Peer Reviewed and Refereed International
Scientific Research Journal**



**GYANSHAURYAM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED
RESEARCH JOURNAL**

Volume 6, Issue 5, September-October-2023

Email : editor@gisrrj.com Website : <http://gisrrj.com>



ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam

International Scientific Refereed Research Journal

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Volume 6, Issue 5, September-October-2023

**International Peer Reviewed, Open Access Journal
Bimonthly Publication**

**Published By
Technoscience Academy**



Website URL : www.technoscienceacademy.com

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
Director, Central Sanskrit University, Bhopal Campus. Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**
Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
-

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
SST, Palamu, Jharkhand, India
-

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India
-

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
 - **Dr. Raja Mohammad Latif**
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin
Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
 - **Dr. Abul Salam**
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
-

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar,
Uttarakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar,
Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University,
Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

Sr. No	Article/Paper	Page No
1	भारतीय शिल्पकला का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: एक अध्ययन कुमकुम मिश्रा, प्रो. (डॉ.) मनीषा राव	01-10
2	भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी नाज़नीन कौसर	11-18
3	समकालीन हिन्दी कविता और स्त्री-विमर्श डॉ. राकेश चंद्र	19-22
4	मृदुला गर्ग कृत 'कठगुलाब' उपन्यास में निहित नारी चेतना आराधना वर्मा	23-25
5	भारत के गाँव : मिथक और वास्तविकताएँ अच्छेलाल प्रजापति	26-31



भारतीय शिल्पकला का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: एक अध्ययन

कुमकुम मिश्रा

शोधार्थी (गृह विज्ञान) रानी आवंतीवाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली।

प्रो. (डॉ.) मनीषा राव

शोध निर्देशक, रानी आवंतीवाई लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली।

Article Info

Volume 6, Issue 5

Page Number : 41-45

Publication Issue :

September-October-2023

Article History

Accepted : 01 Sep 2023

Published : 12 Sep 2023

शोधसारांश— भारतीय शिल्प कला का भारतीय अर्थव्यवस्था पर आमूलचूक पड़ता है। भारत में तमाम पर्यटक आते हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों की कला के नमूनों को याददाश्त के तौर पर अपने देश ले जाते हैं। इस प्रकार भारतीय शिल्प कला विदेश में खासतौर पर अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है। भारत की कुल आय का लगभग 1.8 प्रतिशत हिस्सा शिल्प कला के माध्यम से आता है। शिल्प कलाओं द्वारा भारत में लगभग 70 लाख से भी ऊपर लोग रोजगार में लगे हुए हैं।)

मुख्य शब्द : हस्तकला, शिल्पकला, कलाकृतियां, निर्यात, विदेशी मुद्रा आदि।

समसामयिक परिदृश्य में शिल्पकला— वर्तमान परिदृश्य में शिल्पकला का विकास एवं महत्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में विविधता ने उपयोगितावादी और सजावटी दोनों उद्देश्यों के लिए पूरे देश में विभिन्न प्रकार के शिल्प और कला—रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रत्येक भारतीय राज्य की अपनी अनूठी परंपरा, डिजाइन, रंग, उपयोग में आने वाली सामग्री और व्यक्तिगत आकार और पैटर्न हैं, जो उस विशेष क्षेत्र के हस्तशिल्प में प्रदर्शित होते हैं।

हस्तशिल्प का उत्पादन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ है। यह लाखों लोगों को रोजगार देकर देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें सात मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में लकड़ी के बर्तन, कला धातु के बर्तन, हस्तमुद्रित वस्त्र, कढ़ाई के सामान, जरी के सामान, नकली आभूषण, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, इत्रा, अगरबत्ती आदि का उत्पादन होता है। भारत में हस्तशिल्प उद्योग में महिला कारीगरों का वर्चस्व है, जिसमें कुल कारीगरों का 56 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। देश में 744 हस्तशिल्प क्लस्टर हैं जो लगभग 212,000 कारीगरों को रोजगार देते हैं और 35,000 से अधिक उत्पाद पेश करते हैं। सूरत, बरेली, वाराणसी, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई और मुंबई प्रमुख समूहों में से हैं। अधिकांश विनिर्माण इकाइयाँ ग्रामीण और छोटे शहरों में हैं, और सभी भारतीय

शहरों और विदेशों में बाजार की अपार संभावनाएँ हैं।

हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार, देश भर में लगभग 35,22,512 हथकरघा श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 25,46,285 महिला श्रमिक थीं, जिनकी कुल हथकरघा श्रमिकों में हिस्सेदारी 72.29 प्रतिशत थी। इसके अलावा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में लगभग 16,87,534 महिला हस्तशिल्प कारीगर पंजीकृत हैं। असंगठित क्षेत्रा में काम करने वाली महिलाओं की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े। कपड़ा उद्योग के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रा, राज्य-वार क्रमशः अनुबंध ८ और ८ में हैं।

निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में कपड़ा के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्रा और परिधान (पीएम-मित्रा) योजना को मंजूरी दी है। इस क्षेत्रा में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, जैसे संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस), पावरलूम क्षेत्रा (पावर-टेक्स) के विकास के लिए योजनाएं, एकीकृत कपड़ा पार्कों के लिए योजना (एसआईटीपी), समर्थ-योजना। कपड़ा क्षेत्रा में क्षमता निर्माण, जूट (आईसीएआरई- बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास), एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), रेशम समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा अखिल भारतीय आधार पर कपड़ा क्षेत्रा के प्रचार और विकास के लिए मिशन आदि।

अनुबंध- 1

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार महिला हथकरघा श्रमिकों की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:-

क्र.स.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	महिला हथकरघा श्रमिकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	86,398
2	अरुणाचल प्रदेश	73,871
3	असम	11,79,507
4	बिहार	6,444
5	छत्तीसगढ़	9,730
6	दिल्ली	2,219
7	गोवा	25
8	गुजरात	4,725
9	हरियाणा	14,078
10	हिमाचल प्रदेश	10,059
11	जम्मू और कश्मीर सहित लद्दाख	13,973
12	झारखंड	11,614

13	कर्नाटक	28,192
14	केरल	14,175
15	मध्य प्रदेश	9,269
16	महाराष्ट्र	1,266
17	मणिपुर	2,11,327
18	मेघालय	30,320
19	मिजोरम	22,083
20	नागालैंड	37,142
21	ओडिशा	57,640
22	पांडुचेरी	1,083
23	पंजाब	332
24	राजस्थान	6,244
25	सिक्किम	673
26	तमिलनाडु	1,26,549
27	तेलंगाना	23,245
28	त्रिपुरा	93,589
29	उत्तर प्रदेश	93,054
30	उत्तराखंड	8,595
31	पश्चिम बंगाल	3,68,864
कुल	अखिल भारतीय	25,46,285

अनुबंध- ष

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में राज्यवार महिला हस्तशिल्प कारीगरों की पंजीकरण संख्या इस प्रकार है-

क्र.सं.	राज्य	कुल महिला कारीगर
1	अण्डमान और निकोबार	1,963
2	आंध्र प्रदेश	40,439
3	अरुणाचल प्रदेश	6,876
4	असम	58,114
5	बिहार	78,046
6	छत्तीसगढ़	8,721
7	दिल्ली	11,820
8	गोवा	7,465
9	गुजरात	98,683
10	हरियाणा	23,112

11	हिमाचल प्रदेश	13,713
12	जम्मू और कश्मीर	60,458
13	झारखंड	51,694
14	कर्नाटक	16,493
15	केरल	33,181
16	लद्दाख	245
17	मध्य प्रदेश	57,209
18	महाराष्ट्र	35,149
19	मणिपुर	55,609
20	मेघालय	2,364
21	मिजोरम	1,187
22	नागालैंड	5,051
23	ओडिशा	78,890
24	पांडुचेरी	4,925
25	पंजाब	25,775
26	राजस्थान	79,884
27	सिक्किम	1,285
28	तमिलनाडु	46,995
29	तेलंगाना	19,721
30	त्रिपुरा	9,902
31	उत्तर प्रदेश	5,53,895
32	उत्तराखंड	30,326
33	पश्चिम बंगाल	1,68,344
कुल		16,87,534

नवीनतम हस्तशिल्प सर्वेक्षण (एनसीईईआर) से पता चला है कि लगभग 76.3 प्रतिशत इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं और कुल कारीगरों का लगभग 75.3 प्रतिशत इन्हीं ग्रामीण इकाइयों में काम करते हैं। 23.7 प्रतिशत इकाइयाँ शहरी क्षेत्रों में संचालित होती हैं जो कुल कारीगरों में से 24.7 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करती हैं।

देश के कुल कारीगरों में आधे से अधिक प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत में शिल्प क्षेत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि यह क्षेत्रों देश के लिए विशेष रूप से विकास के आयाम से बहुत महत्वपूर्ण है।

विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर हस्तशिल्प उत्पादों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण प्रगति भारत में बाजार की वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। जैसे-जैसे देश का यात्रा और पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, हस्तशिल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पर्यटक स्मृति चिन्हों और अन्य शिल्प वस्तुओं पर महत्वपूर्ण पैसा खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कुशल हस्तशिल्प बनाने और बेचने के अवसर का विस्तार होता है। इसके

अलावा, घरों, कार्यालयों और रेस्तरां में हस्तनिर्मित सजावट के सामान की बढ़ती मांग और उपहार उद्योग की बढ़ती मांग बाजार के विकास को गति दे रही है। यह क्षेत्रा कम पूंजी निवेश, उच्च मूल्यवर्धन अनुपात और उच्च निर्यात क्षमता के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

हस्तशिल्प निर्यात— एक सिंहावलोकन

1990 तक भारत से हस्तशिल्प का निर्यात आकार में बहुत छोटा था, 1985 में 386.57 करोड़ रुपये और 1990 तक 712.99 करोड़ रुपये था। हालाँकि, 1990 के दशक की उदारीकरण नीतियों ने निर्यात प्रक्रियाओं और कई बाजार खिलाड़ियों की आमद को आसान बना दिया है। इससे भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की वैश्विक मांग में तेज वृद्धि हुई। इस प्रकार, 1995 तक निर्यात बढ़कर 3207 करोड़ रुपये हो गया, निर्यात में चार गुना वृद्धि हुई, और उस दशक के अंत तक यह बढ़कर 8490 करोड़ रुपये हो गया, जिससे हस्तशिल्प देश के प्रमुख निर्यात माल में से एक बन गया।

भारत से हस्तशिल्प का निर्यात 2006–07 में 17288 करोड़ रुपये (भारत सरकार, 2010) के दशक की उच्चतम वृद्धि पर पहुंच गया, लेकिन वर्ष 2008–09 में निर्यात में गिरावट देखी गई। बाद के वर्षों में हस्तशिल्प निर्यात में फिर से तेजी आई और 2013–14 के आंकड़ों के अनुसार निर्यात 23,504 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर को छू गया।

यह लिबल और रॉय (2004) के तर्क को साबित और उचित ठहराता है कि “... किसी भी पूर्वधारणा को कि बाजार—संचालित निवेश आवंटन के तहत शिल्प को आधुनिक विनिर्माण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, को त्याग दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत मुक्त बाजार के शासन में शिल्पकला में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।” उन्होंने शिल्प निर्यात की सफलता के तीन प्रमुख कारण बताए। (प) पर्यटन बाजार के विस्तार के परिणामस्वरूप जातीय—विशिष्ट वस्तुओं की मांग, (पप) घरेलू साज—सज्जा पर खर्च के वैश्विक रुझान में वृद्धि; और (पपप) सिंथेटिक सामग्रियों पर आधारित वस्तुओं के स्थान पर पर्यावरण—अनुकूल प्राकृतिक सामग्रियों पर आधारित वस्तुओं को रखने की प्राथमिकता बढ़ रही है।


हालाँकि, वैश्विक हस्तशिल्प बाजार में भारतीय शिल्प का हिस्सा केवल लगभग 1.45 प्रतिशत है। और चीन और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण हस्तशिल्प के वैश्विक बाजार में भारतीय हस्तशिल्प के भविष्य को लेकर अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता बढ़ रही है, जो अब बाजार पर हावी हैं।

यहां यह बताना जरूरी है कि चीन और थाईलैंड में फैक्ट्री उन्मुख अनुबंध उत्पादन अधिक है। लेकिन भारतीय हस्तशिल्प अभी भी पारंपरिक तकनीकों और उत्पाद श्रृंखला के साथ कुटीर उत्पादन आधार में हैं। हस्तशिल्प में विश्व व्यापार मूल रूप से 'संस्कृति' में व्यापार नहीं है बल्कि आम लोगों की जरूरतों और स्वाद में व्यापार है। जिन वस्तुओं का थोक में उत्पादन करना होता है, हालाँकि वे हाथ से बनाई जाती हैं, उन्हें प्रसंस्करण और परिष्करण के लिए यांत्रिक सहायता की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को कभी—कभी आकार, रंग और डिजाइन में बनाने की आवश्यकता होती है, जो निर्यातक देशों में पारंपरिक रूप से अपनाए जाने वाले विशिष्ट नहीं हैं। निर्यात बाजार पर कब्जा करने वाले देश वे हैं जिन्होंने अपनी कारीगरी और प्रौद्योगिकी को इन आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लिया है। एक नियम के रूप में, भारतीय कलाकृतियाँ मुख्यतः हस्तशिल्प हैं। दूसरी ओर, हस्तनिर्मित, आंशिक रूप से हस्तनिर्मित और साथ ही मशीन से तैयार किए गए सामानों का एक बड़ा वर्ग वैश्विक बाजार में उपहार और सजावटी के सामान्य नामकरण के साथ आता है। ऐसी स्थिति में, निर्यात बाजार की अंधी खोज से अत्यधिक प्रतिभाशाली शिल्प कौशल के खोने का खतरा है। थोक ऑर्डर से निपटने के लिए मशीनीकरण जातीय शिल्प की अनूठी गुणवत्ता को खतरे में डाल



सकता है (भारत सरकार, 2009)

निर्यात गंतव्य

अपनी वैयक्तिकता और अत्यधिक सुंदरता के कारण विदेशी बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत के लिए प्रमुख हस्तशिल्प निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और स्विट्जरलैंड हैं। 2020-21 के दौरान कुल निर्यात में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यूएसए भारतीय हस्तशिल्प का शीर्ष आयातक है। भारत दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में कालीन निर्यात करता है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को। भारत के लिए सबसे बड़े कालीन निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया हैं जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः 57 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है।



संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तमुद्रित वस्त्रों, जरी की लकड़ियों, कढ़ाई वाले सामान, नकली आभूषण और शॉल का एक महत्वपूर्ण खरीदार है। 2021-22 में यूएसए को कालीन निर्यात 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जबकि अप्रैल 2022-जनवरी 2023 के दौरान यह 896 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यूके भारतीय हस्तशिल्प का मुख्य ग्राहक है, जो कला वस्तुएं, क्रोकेटेड वस्तुएं, हस्तनिर्मित हस्तशिल्प, लकड़ी के सामान और नकली आभूषण खरीदता है। यह देश भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का एक प्रमुख आयातक भी रहा है। संयुक्त अरब अमीरात हस्तमुद्रित वस्त्रों, कढ़ाई के सामान और कला धातु के बर्तनों के प्रमुख खरीदारों में से एक है। हाथ से मुद्रित वस्त्रा, नकली आभूषण, कढ़ाई की वस्तुएं और कला धातुएं जर्मनी में लोकप्रिय खरीदारी हैं और देश ने 2021-22 में 116.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अप्रैल 2022-जनवरी 2023 के दौरान 80.59 अमेरिकी डॉलर मूल्य के कालीन खरीदे।



भारत सबसे बड़े हस्तशिल्प निर्यातक देशों में से एक है। अप्रैल 2022–फरवरी 2023 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2021–22 में, भारतीय हस्तशिल्प का कुल निर्यात 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष से 25.7 प्रतिशत अधिक है। पिछले तीन वर्षों में, हस्तनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर कालीनों का निर्यात लगातार बढ़ा है। हस्तनिर्मित कालीनों के वैश्विक निर्यात में भारत की

हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। 2020 में भारत से कालीन निर्यात कुल 1.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल 2020-फरवरी 2021 के बीच कुल कालीन निर्यात 1.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख सामान हैं हस्तनिर्मित ऊन, लकड़ी के बर्तन, कढ़ाई और क्रोकेटेड सामान, कला धातु के बर्तन, हाथ से मुद्रित कपड़ा और स्कार्फ, अगरबत्ती और इत्रा, जरी और जरी के सामान और नकली आभूषण। अप्रैल 2022-फरवरी 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों का हस्तशिल्प निर्यात इस प्रकार रहा, लकड़ी के बर्तन 800.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कढ़ाई और क्रोकेटेड सामान 369.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कला धातु के सामान 394.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर, हस्तमुद्रित वस्त्रा और स्कार्फ 296.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर, नकली आभूषण 149.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर, विविध हस्तशिल्प 865.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

पर्यटन आकर्षण के रूप में शिल्प- बाजार उदारीकरण की पहल का एक प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसने 1980 और 1990 के दशक के दौरान न केवल भारत बल्कि लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया, वह था पर्यटन का विकास। इस अवधि के दौरान पर्यटन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक बन गया है जो सकल घरेलू उत्पाद, निवेश और रोजगार में योगदान देता है। यूएनडब्ल्यूटीओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन लगभग 1858 मिलियन तक पहुंच गया है और पर्यटन से प्राप्त आय लगभग 2,130 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाती है। विकसित देशों ने पर्यटन विकास को मौजूदा आर्थिक संरचना पर एक अतिरिक्त लाभ के रूप में पाया। इस क्षेत्रा को आर्थिक रूप से कमजोर देशों द्वारा अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक प्रणाली से जोड़ने के अवसर के रूप में देखा गया था।

पर्यटन के विकास ने दुनिया भर में शिल्प क्षेत्रा के लिए एक नई बाजार संभावना खोल दी है। शिल्प और पारंपरिक कलाकृतियाँ समकालीन पर्यटकों के लिए जिज्ञासा की वस्तु हैं। पर्यटन खरीदारी में लगातार बढ़ते रुझान ने लगभग सभी पर्यटन स्थलों में हस्तशिल्प की मांग पैदा कर दी है। पर्यटन में शिल्प उपभोग का प्राथमिक साधन स्मृति चिन्ह के रूप में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिल्प किसी विशिष्ट गंतव्य की पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। इसे स्थान का चिह्न बनाना। पर्यटकों के लिए, जो किसी विशेष स्थान का दौरा करते हैं, शिल्प और कलाकृतियाँ प्रामाणिक रूप की वस्तुएँ बन जाती हैं जिन्हें उनकी यात्रा की स्मृति के रूप में वापस ले जाया जा सकता है।

भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में पर्यटकों की खरीदारी में हस्तशिल्प की उल्लेखनीय भूमिका है। हालाँकि, भारतीय पर्यटन बाजार में शिल्प खपत के आर्थिक आकार को सत्यापित करने के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का अनुसरण करें, तो पर्यटन व्यय का लगभग 30 प्रतिशत पर्यटकों द्वारा खुदरा बिक्री पर खर्च किया जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से शिल्प खरीद पर खर्च किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्री सर्वेक्षण ने गणना की है कि कुल पर्यटन का लगभग 38 प्रतिशत भारतीय गंतव्यों में खरीदारी पर खर्च होता है और इसमें से लगभग 15 प्रतिशत खर्च हस्तशिल्प खरीद पर होता है।

पेस (2006) ने भारत में विदेशी पर्यटन के रोजगार संबंधी निहितार्थों की जांच करने का प्रयास किया। रोजगार गुणांक विधि का उपयोग करके, उन्होंने प्रति करोड़ रुपये के विदेशी पर्यटक खर्च से उत्पन्न रोजगार 466 पाया। अध्ययन ने आगे, क्षेत्रावार निहितार्थ की गणना की है। यह देखा गया है कि पर्यटन व्यय से हस्तशिल्प क्षेत्रा में 25 अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होती हैं, जबकि कपड़ा और संबद्ध क्षेत्रा (जिसमें

कालीन और अन्य कपड़ा शिल्प शामिल हैं) को भारत में प्रत्येक एक करोड़ पर्यटन खर्च के कारण 42 अतिरिक्त नौकरियाँ प्राप्त हुईं। भारत सरकार द्वारा दो सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन राज्यों, केरल और राजस्थान में चयनित विरासत स्थलों पर आजीविका कमाने वाले कारीगरों और कलाकारों पर पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 60 प्रतिशत सर्वेक्षण किए गए कारीगरों और कलाकारों की कुल आय का योगदान पर्यटन से था। अध्ययन में अध्ययन क्षेत्रा में रहने वाले कारीगरों के जीवन में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सुधार देखा गया।

जबकि शिल्प-पर्यटन संपर्क का आर्थिक विश्लेषण अंतर-क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, यह देखा गया है कि प्राप्तियों और उसके प्रभाव की गणना करते समय आयात सामग्री के कारण क्षेत्रा के आर्थिक रिसाव पर विचार नहीं किया जाता है। पर्यटन प्रेरित प्राप्ति या रोजगार सृजन की गणना करते समय, इसके उप क्षेत्रों में आयात सामग्री को ध्यान में रखना होगा। कई उप क्षेत्रों (आतिथ्य, यात्रा आदि) में आयात की मात्रा बहुत अधिक है और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पूरी प्राप्ति स्थानीय अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगी। इसके बावजूद, हस्तशिल्प क्षेत्रा में पर्यटन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि पर्यटन में विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ शहरी आबादी में उच्च वर्ग की आबादी के बीच रुचि पैदा करने की क्षमता है, जिससे अंततः भारत विशिष्ट जातीय शिल्प और वैश्विक स्तर पर कलाकृतियों की मांग बढ़ सकती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्रा पहले ही निर्यात बाजार में जा चुका है, पर्यटन के माध्यम से शिल्प को बढ़ावा देना शिल्प क्षेत्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना उचित होगा कि भारतीय हस्तशिल्प के सबसे बड़े निर्यात बाजार भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का प्रमुख स्रोत भी हैं। यह केवल इस तथ्य को उजागर करने के लिए है कि पर्यटन विकास संभावित रूप से भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

भारत सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई पर्यटन कार्यक्रम शुरू किए हैं जो अंततः पर्यटन से शिल्प की मांग को बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार 127 ग्रामीण स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें यूनेस्को द्वारा वित्त पोषित अंतर्जात पर्यटन परियोजनाओं के तहत 31 ग्रामीण/विरासत पर्यटन परियोजनाएं शामिल हैं। ये स्थल स्थानीय संस्कृति, व्यंजन, विरासत, कला और शिल्प का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्देश्य कम आय वाले ग्रामीण समुदायों के लिए नए और अभिनव आजीविका के अवसर खोलने के लिए आतिथ्य व्यापार का उपयोग करना है। चयनित अधिकांश स्थल जैसे गुजरात में होदका, केरल में अरनमुला, उड़ीसा में पिपली आदि हस्तशिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं और परियोजनाओं में शिल्प के लिए पर्यटकों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष— इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका भारत के शिल्प बाजार का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साथ ही देश में पर्यटन को जितना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा भारत का हस्तशिल्प बाजार भी उतना ही फले-फूलेगा। हस्तशिल्प उद्योग एवं कारीगरों पर देश को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि देश में हस्तशिल्प उद्योग का संमुचित विकास हो, जिससे देश की विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हो। क्योंकि जैसे-जैसे हस्तशील बाजार का विकास होगा इसका निर्यात तेज होगा और जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

संदर्भ

1. Sandhya Rani and Das, Socio-Economic Profile of Handloom Weaving Community: A Case Study of Bargarh District, Odisha, Disseveration, National Institute Of Technology, Rourkela, Sundargarh - 769008, Odisha, India, 2015.
2. Azad Basha, "Problems and Prospects of Small and Medium Enterprise in India", Shanlax International Journal of Commerce, Vol.1, No.4, October 2013.
3. Mondal, A. Design approach to enhance manufacturing efficiency of the handloom sector in Northeast Zone. Lecture presented at Indian Handloom Textiles in the Context of Globalization|| - National Seminar (2015, June).
4. Muhammad Amjad Bashir, Muhammad Irfan and Muhammad Farhat Hayyat, "Role of Handlooms in the Socio-Economic Conditions of Handlooms Workers in Cholistan", Applied Sciences and Business Economics, Vol.1, Issue.4, 2014., PP.124-129.
5. Singh, D.P, *Women Workers in Unorganized Sector*, (Deep and Deep Publications (p) Ltd., New Delhi, 2015).
6. Yogima Seth Sharma, "Despite Policy support, Labour Participation by Women still Low", The Economic Times, March 08, 2022.
7. Available at: <https://www.epi.org/publication/irregular-work-scheduling-and-its-consequences/> (Visited on April 12, 2018).
8. Pais Jesim (2006) Tourism employment : An analysis of foreign tourism in India, Working paper 2006/04, New Delhi, Institute of social and industrial development.
9. Liebl, Maureen & Tirthankar Roy (2004) Handmade in India, Economic and Political Weekly, Vol, 38 (51,52): 5366-76

भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी

नाज़नीन कौसर

शोधार्थी, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

Article Info

Volume 6, Issue 5

Page Number : 11-18

Publication Issue :

September-October-2023

Article History

Accepted : 01 Sep 2023

Published : 12 Sep 2023

सारांश:- यह भारतीय समाज एवं राजनीति की दरिद्रता है कि उसने स्त्री के साथ सामाजिक और राजनैतिक न्याय नहीं किया। ऐसा लगता है राष्ट्रवाद के विकास के साथ उतरोत्तर स्त्री संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे धुंधले पड़ने लगे। राष्ट्रवाद स्त्री प्रश्न को अपने समाज की आंतरिक समस्या मानते हुए उन्हें सुलझाना चाहता था किन्तु यह मात्र एक ढोंग था। तभी तो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्त्री मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रवादी आंदोलन के एजेंडे ओझल हो गया। अतः सामान्य वर्ग की महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों का शिक्षित व जागरूक होना आवश्यक था। नवजागरण के आगमन से भारतीय राजनीति का यह कोना भी देदीप्यमान हो उठा।

मूलशब्द:- भारतीय महिला आंदोलन, राष्ट्रवाद, स्त्री शिक्षा, राजनीति इत्यादि.

भारत छोड़ो'आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी कोई चमत्कार नहीं था और न ही स्त्रियाँ अचानक राजनैतिक चेतना संपन्न हो गई। सुचेता कृपलानी, अरुणा असफल अली, मातंगिनी हाजरा, सरोजिनी नायडू जैसी स्त्रियों की आंदोलन में हिस्सेदारी को समझने के लिए स्त्री चेतना की सामाजिक-राजनैतिक पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए सामाजसुधार आंदोलनों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार और स्त्री शिक्षा के स्वरूप पर जो बहसें छिड़ी उसके परिणाम स्वरूप समकालीन शिक्षित महिलाओं ने परम्परागत स्त्री प्रतिमानों को ध्वस्त कर दिया।

सत्तावन की क्रांति की विफलता का मुख्य कारण रहीं- जन सामान्य व समाज के प्रत्येक वर्ग में जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, स्त्री संबंधी दृष्टिकोण। सामाज सुधारकों, एवं अग्रणीय नेताओं ने नवजागरण के प्रकाश में भारतीय समाज की जड़ मान्यताओं एवं कुरीतियाँ पर प्रहार किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, फूले दंपति, फ़ातिमा शेख, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर इत्यादि ने सामाजिक स्तर पर बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार की। यह परिवर्तन मुख्य रूप से पहले बंगाल एवं महाराष्ट्र में घटित हुआ। इस सन्दर्भ में मरण सिन्हा कहते हैं "ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में जो बंगाल या महाराष्ट्र में घटित हुआ है, वह हिंदी क्षेत्र में उत्तरार्द्ध में घटित होता दिखाई पड़ता है।" शिक्षा के प्रकाश में इन महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जो सक्रियता एवं सजगता दिखाई उसके

परिणामस्वरूप सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया और बीसवीं सदी के आरम्भ में शिक्षित महिलाओं की एक जमात खड़ी हो गई। अतः कहा जा सकता है कि “नवजागरण हिन्दी भाषा या साहित्यकार का ही नवजागरण नहीं है, बल्कि समग्रता में हिन्दी जाति का नवजागरण है, जिसमें स्त्रियाँ हैं, राजनीति है, पत्रकारिता है, संस्कृति है और है हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अदम्यता के साथ दहकती स्वाधीनता की भावना का नवजागरण।”² 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, असगरी बेगम, हबीबा, बख्तावरी देवी, बेगम हजरत महल, शोभादेवी शर्मा, रानी चन्नमा आदि महिलाओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि सत्तावनकी क्रांति में राजपरिवार, सभ्रात व संपन्नपरिवार की महिलाओं की भागीदारी अधिक थी अतः सामान्यवर्ग की महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों का शिक्षित व जागरूक होना आवश्यक था। नवजागरण के आगमन से भारतीय राजनीति का यह कोना भी देदीप्यमान हो उठा। अतः तत्कालीन समाज सुधारकों एवं राजनेताओं ने इस समस्या को गंभीरता पूर्वक लिया एवं इसके निवारण हेतु समाज सुधार अभियान चलाए। नवजागरण के अग्रदूतों ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया परिणामस्वरूप हिन्दी पट्टी में यह बहस जोर पकड़ने लगी कि स्त्रियों के लिए कैसी शिक्षा हो इस पर लंबी बहस चली कि क्या वह पुरुषों के समान हो ? या पुरुषों से भिन्न हो ? या नीतिपरक हो !

इस संदर्भ में तत्कालीन पत्रिकाओं में अलग-अलग लोगों ने अलग अलग मत प्रकट किए। परंपरा प्रेमी ‘सरस्वती’ पत्रिका में 1903 व 1913 में ‘सौभाग्यवती रखमाबाई’ एवं ‘स्त्री शिक्षा की आलोचना’ विषय पर विचार किए गए। सरस्वती पत्रिका में ऐसे विषयों पर न जाने कितने लेख छपे। ऐसा लगता है ‘सरस्वती’ पत्रिका ने ही ‘मोरल पुलिसिंग’ का बीड़ा उठा लिया था। फरवरी 1885 ई. में बालकृष्ण भट्ट ने ‘स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा’ नामक लेख में लिखा - “मानसिक व्यापार से जितनी बातों का संबंध है उनसे स्त्रियाँ कोसों दूर हैं।”³ जिन्होंने स्त्री को बौद्धिक स्तर पर औसत से भी नीचे का दर्जा दिया उस समाज से ऐसे प्रश्न आने स्वाभाविक है। ऐसा लगता है ये शिक्षा के नाम पर स्त्रियों के लिए नैतिकता का सर्टिफिकेट कोर्स करवाना चाहते थे। ‘मर्यादा’ पत्रिका में लाला लाजपत राय ने ‘भारत वर्ष में स्त्रियों का पद’ के अन्तर्गत लिखा है- “स्त्रियों को गृह कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए पर ऐसी शिक्षा नहीं जो उन्हें गृह के धर्म कर्तव्यों से जरा भी विमुख करे।”⁴ इसी संदर्भ में प्रोफेसर ‘फ्रेंचेस्का ऑर्सीनी’ अपनी किताब में पुरुषोत्तमदास टंडन के इस कथन को रेखांकित करती हैं- “I believe that the ideal of the whole women’s education should be of making them into sugrhnis.”⁵ स्त्री शिक्षा के प्रयोजन कि इन बहसों से एक बात प्रमाणित होती है कि “वे स्त्री को शिक्षित भी करना चाहते थे और आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही अधीनस्थ भी बनाए रखना चाहते थे।”⁶ जिन्होंने एक बार भी इस विषय पर सोचना जरूरी नहीं समझा कि स्त्री अपने लिए क्या चाहती है। बजाय इसके उन्होंने स्त्री शिक्षा के उद्देश्य को पितृसत्ता के पिष्टपोषण के रूप में देखा। स्त्री शिक्षा के संबंध में नेताओं एवं समाजसुधारकों के वैचारिक अंतर्विरोध को स्पष्ट करते हुए ‘फ्रेंचेस्का ऑर्सीनी’ लिखती हैं “ This attitude was especially prominent in cartoons, even those in magazines like Camd which fervently championed the cause of women’s education: whether ‘at home’ or ‘in the world’, they seemed to say, women’s progress must always carry the brand of Indianness.”⁷ “On the other hand, college girls featured largely in romantic narratives without any moral stigma attached: Dhaniram Prem, Pandey Bechan Sharma Ugra,

Nirala employed educated heroines as characters who possessed not only 'womanly virtues' but also wit, intelligence, passion and determination."⁸

स्त्री शिक्षा संबंधी इन बहसों के बीच कई समाज सुधारकों ने अपने बलबूते परस्कूल कॉलेज का निर्माण कराया जिसमें फूले दंपति एवं फ्रातिमा शेख का नाम अग्रणीय है। उस दौर में उन पर कई तरह से हमले हुए। जब स्कूल खोलने और पढ़ाने वाले इस स्तर का संघर्ष कर रहे थे ऐसे कठिन समय में लड़कियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए उदारता दिखाने वाले लोग बिरले ही रहे होंगे। उस दौर में संभ्रांत, शिक्षित व राज घराने वाले अपने स्त्रियों को पढ़ाते-लिखाते थे। शिक्षा के संदर्भ में भी सर्वहारा, दलितों एवं मुसलमान महिलाओं ने अतिरिक्त संघर्ष किया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि तत्कालीन राजनेता स्त्री से राजनैतिक सक्रियता की माँग तो करते हैं लेकिन उनके शिक्षा के अधिकार पर चुप्पी साध लेते हैं। जिनकी शिक्षामें भागीदारी पर इतना बवाल मचा, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। समाज सुधार के पुरोधा भी स्त्रियों के वैज्ञानिक, तार्किक या यूँ कहें पश्चिमी ढंग की शिक्षा के खिलाफ़ थे। महिलाओं की शिक्षा का प्रयोजन भी अच्छी गृहिणी तक सीमित कर दिया गया। उन्हें इतिहास व प्रेम से दूर रखने की साजिश कि गई। वे नहीं चाहते थे कि महिलाएँ इतिहास पढ़ें तभी तो भारतेन्दु जी कहते हैं - "बड़ी लड़कियों को प्रेम सागर (लल्लूलाल का बनाया) ग्रन्थ पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। चरित्र निर्माण (मोरालिटी) और घरेलू प्रबंध वगैरह के बारे में बताने वाले अच्छी पाठ्यपुस्तकें उनके पाठ्यक्रम में लगानी चाहिए।"⁹ बलिया में दिए भाषण में भारतेन्दु का कहना था कि ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज शिक्षा दें।¹⁰ तत्कालीन राजनेताओं के फूहड़पने एवं धूर्तता का भंडाफोड़ 'मर्यादा' पत्रिका के जून 1920 के अंक में कुसुम कुमारी ने 'कांग्रेस की महासभा' लेख में किया। वे लिखती हैं "मैंने अपनी बहनों को समुद्र की तरह उमड़ते देखा परंतु अफ़सोस की बंदेमातरम् गीत के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ता था।"¹¹ इस कथन से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि उस दौर में अधिवेशनों में स्त्रियों को आमंत्रित तो किया जाता था किन्तु उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती थी। मंच पर दिए गए भाषणों की आवाज़ उन तक न पहुँच पाए तो उन्हें बुलाने या न बुलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इन सभी अंतर्विरोधों के बावजूद बांग्ला नवजागरण का प्रभाव हिंदी क्षेत्र पर पड़ा है और इसका माध्यम बनी पत्र-पत्रिकाएं। कमला, स्त्रीदर्पण, गृहलक्ष्मी, आर्य महिला, प्रभा, मर्यादा, चाँद आदि पत्रिकाओं के माध्यम से स्त्री चेतना का प्रचार-प्रसार हुआ। 'मर्यादा' में स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण लेख देखने को मिलते हैं। इस समय पत्र-पत्रिकाओं में स्त्री संपादिका व लेखिकाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। 1900 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती गांगुली बंगाल की एक प्रतिनिधि थीं। इन्होंने इस अधिवेशन में वक्तव्य भी दिया था। तत्पश्चात बंग-भंग के समय स्वदेशी आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। कई महिलाओं ने गिरफ्तारियां भी दीं। मैडम भीकाजी कामा ने इंग्लैण्ड व फ्रान्स आदि विदेशों में भारत के क्रान्तिकारी आंदोलन को गति प्रदान की। प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में एनी बीसेंट ने 'होमरूल आंदोलन' चलाया। इस समय तक आते-आते स्त्री शिक्षा से स्त्री नेतृत्व की यात्रा तय हो चुकी थी। चूंकि अब तक महिलाओं के लिए पुरुषों ने आंदोलन किए, सुधार संबंधी कार्य किए किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्त्रियों ने अपनी समस्याएं अपने तरीके से सुलझाने शुरू किए। फलस्वरूप भारतीय राजनीति में तीव्रता से स्त्रियों का प्रवेश हुआ। नवजागरण पूर्व राजनीति में सिर्फ़ अभिजात्य वर्ग की स्त्रियों की

भागीदारी थी किन्तु इस बार बंगाल में प्रीतिलता, कल्पना दत्त व वीणादास अग्रणीय क्रांतिकारियों के रूप में उभरकर आईं। इन महिलाओं ने पत्र-पत्रिकाओं के सहारे महिलाओं को सशक्त किया। चाँद, स्त्री-दर्पण, मर्यादा, प्रभा, सरस्वती आदि पत्रिकाओं के माध्यम से स्त्री-चेतना उभर कर आई। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे राजनेताओं से लेकर साहित्यकारों ने स्त्रियों की भागीदारी को जिस रूप में देखा, उसकी चर्चा किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्री की भागीदारी की सराहना तो की किन्तु उनके मताधिकार का विरोध किया। ऐसे में सरोजिनी नायडू ने मांटैग्यु चेम्सफोर्ड के समक्ष काँग्रेस चुनाव में स्त्री मताधिकार को लेकर जो विरोध किया उसकी अनुगूँज 'भारत छोड़ो' आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी के रूप में सामने आई। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लड़ती हुई मातांगिनी हाजरा शहीद हो गई तो, अन्य महिलाओं ने नेताओं के गुप्तचर विभाग के रूप में काम करते हुए आंदोलन को गती प्रदान की। कॉलेज की छात्राओं ने स्त्रियों, किसानों और श्रमिकों का समूह बनाकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन के समय स्त्रियों ने लोक गीतों के माध्यम से सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया एवं आंदोलन में भागीदार कर्मियों को प्रश्रय दिया।

तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं पर ध्यान दिया जाए तो यह बात उभरकर आती है कि हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी महिलाओं ने समाज सुधार के संदर्भ में सक्रियता से बहुत कुछ लिखा। मुस्लिम महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं ने पत्र - पत्रिकाओं के संपादन के साथ-साथ जुलूसों का नेतृत्व किया एवं जेल यात्राएं भी की। जिस तरह हिंदी में 'चंद' एवं 'मर्यादा' जैसी पत्रिकाओं ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया ठीक उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं ने 'शम्सुलन्हार', 'खातून', 'अलहिजाब', 'खादिम', 'सरताज', 'हरम', 'खातून-ए-मशरिफ' इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किया। यह हिन्दी जातिके इतिहास का गौरवशाली युग था जिसमें सभी महिलाओं ने धर्म, जाति एवं लिंग की परवाह किए बिना एक बेहतर समाज के निर्माण की मुहिम चलाई। इन सकारात्मक परिणामों के बाद भी तत्कालीन नेताओं ने स्त्री की भूमिका को घर की चाहरदीवारी तक ही सीमित रखना चाहा किन्तु स्त्रियाँ अब रुकने वाली नहीं थी, उन्हें अब और आगे बढ़ना था; बहुत लंबा सफ़र तय करना था। जिस समाज के पुरुष स्त्रियों को औसत दर्जे का द्वयम नागरिक समझते हों वे स्त्रियों के वोट के अधिकार पर क्या ही कहते। अतः स्त्रियों के वोट के अधिकार पर बहुत फ़ज़ीहते हुईं। स्त्रियों ने भी हार नहीं मानी एवं तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। उस दौरान 'मर्यादा' एवं 'प्रभा' दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी जिसमें स्त्रियों को वोट के अधिकार पर खूब वाद-विवाद हुआ करते थे। बात यहीं तक नहीं रुकी बल्कि अगस्त 1928 में बंबई-काँग्रेस में सरोजिनी नायडू ने काउंसिलों के चुनाव में स्त्रियों के वोट के अधिकार का प्रस्ताव रखा, प्रतिक्रियास्वरूप लाला लाजपतराय, मदन मोहन मालवीय एवं गोखले इत्यादि नेताओं ने इसका विरोध किया। इस संदर्भ में 'सुनन्दा पराशर' का कहना है कि "मालिकाना भाव से भरी परंपरागत दृष्टि यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि स्त्री घर से बाहर निकलकर पुरुष की सहायता और उसके आसरे के बिना कुछ करे..."¹² राजनेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि वोट के अधिकार भर से वे स्त्रीत्वहीन हो जाएंगी ! राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में पुरुष चरित्र के पतन पर, उसकी नैतिकता पर किसी ने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की लेकिन स्त्री के राजनीतिक में आने के क्रयास भर से उसके चरित्र एवं नैतिकता पर टीका-टिप्पणी शुरू हो जाती है। इस प्रसंग को समझने के लिए यशपाल के उपन्यास पार्टी कॉमरेड की मुख्य

पात्र 'गीता' के राजनैतिक जीवन को समझना आवश्यक हो जाता है। स्त्री मर्दों की तुलना में औसत बुद्धि की ही होगी, यही सोच इस उपन्यास की महिला पात्र के संदर्भ में सटीक बैठती है तभी तो राजनैतिक भागीदारी के नाम पर गीता का उपयोग एक 'आइ कैंडी' के रूप में होता है। इसी उपन्यास के पात्र 'रंगा'के मुख से लेखक ने कहलवाया है - "जिस बात से पार्टी की सहायता हो उसमें धत् क्या ? गर्ल्स कैन मेक कॉन्टैक्ट्स ईज़ीली।"¹³समाज महिलाओं को उसकी यौनिकता से परे सोच ही नहीं सकता, तभी तो 'गीता' और 'पद्म लाल' के संबंध में अखबारों ने गीता के चरित्र पर छींटाकशी की परिणामस्वरूप गीता की माँ ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। स्त्रियों के मामले में समाज पहले से ही इतना संवेदनहीन, नीतिपरक रहा है कि तत्कालीन नेताओं के स्त्री विरोधी मतों का समाज के कुछ हिस्से ने आँख मूंदकर विश्वास कर लिया होगा। इन सब के अलावा भारतीय राजनीति में गांधी जैसे नेता भी हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-" I would boycott that legislature which will not have a proper share of women members."¹⁴इसी बीच 1925 में सरोजनी नायडू को I.N.A का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने उद्गार वक्तव्य में सरोजनी ने कहा था कि 'जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरी रगों में लहू है, मैं आज़ादी के लिए युद्ध करती रहूंगी।'गांधीऔर सरोजनी नायडू केइन क्रांतिकारी शब्दों का ही परिणाम था कि 1930 के दांडी मार्च में गाँधी जी का साथ लाखों महिलाओं ने दिया। "यह संभवतः पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसने पूरे देश की स्त्रियाँ बड़ी संख्या में शामिल हुई।"¹⁵इस संदर्भ में सुभाषचन्द्र बोस का कहना है - " his civil disobedience campaigns brought about in a dramatic Manner, the entry of women in large numbers into the public life of India. These became the starting point of women's emancipation in our land."¹⁶ हालाँकि इस आंदोलन में गांधी ने अपने साथ शामिल सदस्यों में किसी स्त्री सदस्य को शामिल नहीं किया था जबकि वे स्त्रियों की राजनैतिक भागीदारी के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्त्रियाँ परिवार के दायरे में रहकर अपनी सक्रियता दिखाएं। वे भी अन्य नेताओं की तरह स्त्रियों को पश्चिम में मिली छूट के पक्ष में नहीं थे अतः उनका भी मानना था कि स्त्रियाँ भारतीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़ें। एक मात्र सरोजनी नायडू ही ऐसी महिला थीं जो दांडी मार्च के अंतिम दिनों में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुईं। तात्कालिक परिवेश में स्त्री के प्रति ऐसी उदासीनता के कारण ही शायद 'रेणु' ने 'मैला आँचल' में एक भी स्त्री पात्र को राजनैतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाया है। 'मैला आँचल' एक आंचलिक उपन्यास होने के साथ राजनैतिक कलेवर की कथानक को पिरोए हुए है। उपन्यास में राजनैतिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं किन्तु कोई स्त्री पात्र राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं पड़ती। मैला आँचल का गाँव ठेठ गाँव है जहाँ शैक्षणिक या सामाजिक सुधारों की दूर-दूर तक कोई अनुगूँज सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे में किसी स्त्री का राजनीति में आना सहज स्वाभाविक नहीं लगता। तत्कालीन समाज में स्त्री मात्र 'कामिनी' समझी गई तभी तो मठाधीश द्वारा नाबालिग 'लछमीनिया' का बचपन से किशोरावस्था तक बलात्कार होता रहा। ऐसे समाज में स्त्रीयाँ जुलूस,पार्टी के कार्यक्रमों में जाएँ भी तो कैसे? इसी प्रश्न के आस-पास भटकते हुए यशपाल ने अपने उपन्यासों में स्त्री चेतना एवं स्त्री की राजनैतिक भूमिका को उकेरा है। यशपाल के यहाँ स्त्रियाँ राजनैतिक रूप से सक्रिय हैं जबकि रेणु के यहाँ 'जलवा' कहानी की 'फ्रातिमादि' के अतिरिक्त और कोई पात्र नहीं है।शायद इसकी एक वजह यह भी रही हो कि यशपाल की कथानक की पृष्ठभूमि शहरी, निम्न मध्य वर्ग या मध्यवर्गी है जबकि रेणु के कथा साहित्य की पृष्ठभूमि भारत का पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। यशपाल ने 'झूठा सच' में 'तारा'

को एक शिक्षित महिला के रूप में चित्रित किया है जो उत्तरोत्तर राजनीति में सक्रिय होती है वहीं 'पार्टी कॉमरेड' की गीता बम्बई के कॉलेज में पढ़ती है, विद्यार्थी जीवन में राजनीति में भाग लेती है, जिससे उसकी राजनैतिक समझ और पकड़ दिन-प्रतिदिन बेहतर होती चली जाती है। 'तेरी मेरी उसकी बात' (उपन्यास) की 'उषा' भी शिक्षित महिला है जो 1942 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्त्रियों की सक्रियता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में लगभग सत्रहहजार महिलाओं ने भाग लिया। "काकोरी कांड के कैदियों के मुकदमे की पैरवी के लिए सुशीला दीदी ने अपने विवाह के लिए रखा हुआ सोना उठाकर दान में दे दिया।"¹⁷ सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कमला देवी, लाडोरानी जुत्शी, अरुणा आसफ़ अली इत्यादि ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके अतिरिक्त देश की सामान्य स्त्रियों ने भी भिन्न-भिन्न प्रकार से आंदोलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। "वास्तव में उसमें से अधिकांश महिलाएँ रूढ़ियों के भार से दबी जा रही थी, अतः देश की जागृति के साथ साथ उनकी क्रांति ने भी आत्मा विज्ञापन का अवसर और उससे उपयुक्त साधन पा लिए।"¹⁸ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनें। इनमें महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया। विजयलक्ष्मी पण्डित, सुचेता कृपलानी मंत्री बनीं। अनुसूया बाई काले को आंध्र प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजनैतिक पद पर आसीन महिलाओं के अतिरिक्त हिन्दी की स्त्री रचनाकारों ने भी अपने लेखनी से स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'झाँसी की रानी' कविता के माध्यम से जन सामान्य को जागृत किया तो वहीं महादेवी वर्मा ने 'श्रृंखला की कड़ियाँ' लिखकर पराधीनता की बेड़ियों से आज़ादी का आह्वान किया। सुभद्रा कुमारी चौहान पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जन-सामान्य को जागृत करने के अलावा राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं ; इसी क्रम में उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़।

दांडी मार्च के बाद 'भारत छोड़ो आन्दोलन' भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गांधी जी के नेतृत्व में 'करो या मरो' का नारा लगाते हुए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं ने देश के कोने-कोने से आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल से वृद्ध मातांगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो का नेतृत्व किया तो पंजाब से पार्वती देवी ने इस दौरान कई बार जेल की यात्राएं की। उषा मेहता ने रेडियो द्वारा गुप्त प्रसारण कर आन्दोलन की तीव्रता को बढ़ाया। बहुरिया रामस्वरूप देवी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं अरुणा असफ़ल अली जैसी स्त्रियों ने इस आंदोलन को विशालता प्रदान किया। वहीं 1942 के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मदद करना 'महादेवी वर्मा' की आदत बन गई थी। जब कोई उन्हें सावधान करता तो वे कहती - "...विश्वास के साथ आए हुए देश प्रेमी बंधुओं का अपमान भी तो नहीं कर सकती। इस समय देश को बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है, तो क्या मैं इतना भी व करूँ।"¹⁹ इसके अलावा स्त्रियों ने कहीं गुप्तचर के रूप में आंदोलन की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कहीं आंदोलन के लिए चंदा जमा करके आंदोलन को मूर्छित होने से बचाया। इतिहासकार पी.एन. चोपड़ा ने 'historic judgements on quit India movement' में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आदान-प्रदान किये गए पत्रों, अखबार एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित तथ्यों, चिट्ठियों एवं सरकार की ओर से प्राप्त जानकारियों का किताब के रूप में संपादन किया है। जिसमें देश भर की सामान्य स्त्रियों के योगदान को भी

रेखांकित किया गया है –“ The central provinces report on early incidents contains a reference to a woman teacher in the Mahila Ashram of Wardha, admitting to a sub inspector that she obtained her degree, to dig trenches in the road, paralyse traffic, cut-off telegraph and telephone wires . She said she had not acted on her own initiative, but her inspiration came from Gandhi who wanted so many things to be done.”²⁰

1942 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब भारत में उनकी गिनती के दिन रह गए हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अलग-अलग स्तर पर अपना योगदान दिया। क्रान्तिकारियों का यही जज़्बा और जुनून 1947 तक जारी रहा जिसके परिणामस्वरूप देश स्वाधीन हुआ। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही महिलाएं स्वतंत्र भारत की राजनैतिक परिदृश्य से गायब रहीं। यह दुखद है कि देश की आज़ादी में जिन महिलाओं ने यातनाएं सहੀं, जेल यात्राएं की, हर तरह का त्याग और बलिदान दिया, स्वतंत्र भारत की राजनीति में उनकी भागीदारी नगण्य रही। कमला कुमारी जैसी इक्का-दुक्का महिलाएँ ही स्वतंत्र भारत की राजनीति में सक्रिय रहीं। इस संदर्भ में फणीश्वरनाथ रेणु की ‘जलवा’ कहानी बहुत प्रासंगिक जान पड़ती है जिसमें रेणु ने स्त्रियों की राजनीतिक निष्क्रियता का भांडाफोड़ किया है। अजीत और फ्रातिमादि के प्रश्नोत्तर से काफ़ी हद तक इस सवाल का जवाब मिल जाता है। अजीत ‘फ्रातिमादि’ से पूछता है– ‘आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी...’ इसके प्रत्युत्तर में फ्रातिमादि कहती हैं –“ अपने नेताओं से क्यों नहीं जवाबतलब करते ? कल तक गांधी-जवाहर-पटेल को सरेआम गालियाँ देनेवाले, कौमी झंडे को जलानेवाले फिरकापरस्त लीगियों की इज्जत अफजाई की गई और मुल्क के लिए मरने-मिटनेवालों को दूध की मक्खियों की तरह निकाल फेंका।...तुम खुद अपने से यह सवाल क्यों नहीं पूछते?”²¹

अतः 1942 के आन्दोलन की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं दांडी मार्च जैसे बड़े राजैतिक घटनाक्रम में उतरोत्तर महिलाओं की भागीदारी से ही भारत छोड़ो आन्दोलन में इतनी बड़ी संख्या में समाज के प्रत्येक तबके की महिलाओं ने भाग लिया। परंतु भारत की राजनीति में पहली बार ‘पैसिवनेस’ को छोड़कर स्त्रियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। किन्तु उसका यह सफ़र इतना आसान नहीं था। सच्चाई तो यह है कि इक्का-दुक्का पुरुषों को छोड़कर बहुधा पुरुषों ने कभी चाहा ही नहीं कि स्त्रियाँ सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने, ऐसा लगता है किसी मजबूरी के तहत नेताओं ने स्त्रियों को राजनीति में आने दिया और अपना प्रयोजन सिद्ध होते ही स्वतंत्र भारत के राजनैतिक परिदृश्य से उन्हें गायब कर दिया। आधी आबादी का हिस्सा होकर भी स्त्रियाँ अपने राजनैतिक अधिकार से वंचित हैं। सत्ताधारी पुरुषों के मन में यदि कोई खोट नहीं होता तो अब तक 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा होता। यह भारतीय समाज एवं राजनीति की दरिद्रता है कि उसने स्त्री के साथ सामाजिक और राजनैतिक न्याय नहीं किया। ऐसा लगता है राष्ट्रवाद के विकास के साथ उतरोत्तर स्त्री संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे धुंधले पड़ने लगे। राष्ट्रवाद स्त्री प्रश्न को अपने समाज की आंतरिक समस्या मानते हुए उन्हें सुलझाना चाहता था किन्तु यह मात्र एक ढोंग था। तभी तो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्त्री मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रवादी आंदोलन के एजेंडे ओझल हो गया।

संदर्भ

1. स. सत्य प्रकाश मिलिंद, हिंदी की महिला साहित्यकार , नई दिल्ली : अन्य प्रकाशन , 2018 पृष्ठ संख्या 7
2. नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नई दिल्ली: सामयिक बुक्स, 2012 पृष्ठ 33
3. सुनंदा पराशर, हिंदी नवजागरण और स्त्री अस्मिता, अनन्य प्रकाशन नई दिल्ली 2017, पृष्ठ 55
4. सुनंदा पराशर, हिंदी नवजागरण और स्त्री अस्मिता, अनन्य प्रकाशन नई दिल्ली, 2017 पृष्ठ 47,
5. francesca orsini, The Hindi public sphere :1920-1940, ProQuest ,2017, page165
6. लेखिका-गरिमा श्रीवास्तव, संपादक-सत्य प्रकाश मिलिंद, हिंदी की महिला साहित्यकार, ,अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली 2018, पृष्ठ 12
7. francesca orsini, The Hindi public sphere :1920-1940 , ProQuest ,2017 पृष्ठ 45
8. francesca orsini, The Hindi public sphere :1920-1940 , ProQuest ,2017 पृष्ठ 171
9. वीरभारत तलवार, रस्साकशी, दिल्ली : सारांश प्रकाशन, 2012 पृष्ठ 34
10. सं. हेमंत शर्मा, भारतेंदु समग्र, वाराणसी: हिन्दी प्रचारक संस्थान,1989, पृष्ठ 1013
11. सुनंदा पराशर, हिंदी नवजागरण और स्त्री अस्मिता, अनन्य प्रकाशन नई दिल्ली 2017,पृष्ठ संख्या 119
12. वही, पृष्ठ 108
13. यशपाल, पार्टी कॉमरेड, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली 1978, पृष्ठ 26
14. शुभांगी राठी, Role of Mahatma Gandhi in women's political participation, mkgandhi.org
15. नमिता सिंह, स्त्री प्रश्न, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2017, पृष्ठ संख्या 43
16. Bose:74,Nirmalkar, lectures on Gandhism
17. नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल इतिहास, सामयिक बुक्स प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012 पृष्ठ 219
18. महादेवी, संकलन-संपादन डॉक्टर राम जी पाण्डेय, प्रतिनिधि गद्य रचनाएँ,भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली 1983, पृष्ठ 232
19. सुमन राजे, इतिहास में स्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली 2012, पृष्ठ 18
20. P.N.Chopra, historic judgements on quit India, movement, interprint/konark publishers :Delhi,1989, page229
21. फणीश्वरनाथ रेणु, मेरी कहानियां, राजपाल एंड संस, दिल्ली 2009, पृष्ठ 97

समकालीन हिन्दी कविता और स्त्री-विमर्श

डॉ राकेश चंद्र

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जे वी जैन कालेज, सहारनपुर, भारत।

Article Info

Volume 6, Issue 5

Page Number : 19-22

Publication Issue :

September-October-2023

Article History

Accepted : 01 Sep 2023

Published : 20 Sep 2023

साहित्य में स्त्री शब्द ऐसा शब्द है जिस पर बार-बार साहित्यकारों का ध्यान गया। स्त्री विमर्श का अर्थ है स्त्री को केन्द्र में रखते हुए स्त्री की सारी समस्याओं को साहित्य में स्थान देना तथा उन सभी समस्याओं के कारण और प्रकार जानकर उनके निराकरण के लिए उचित समाधान बताना। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध स्त्री को स्वतन्त्रता, समानता के अवसर देना तथा शिक्षा, सम्पत्ति, कार्यस्थल, न्याय आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना।

समकालीन हिन्दी कविता में स्त्री-विमर्श केन्द्र में रहा है। स्त्री-विमर्श के केन्द्र में होने के पीछे के कारण को राकेश कुमार के कथन से समझा जा सकता है—

“स्त्री विमर्श में उठने वाले सवाल महज स्त्रियों से जुड़े हुए ही नहीं हैं, अपितु उनमें हमें पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदण्डों, पितृक मूल्यों, लिंगभेद की राजनीति और स्त्री उत्पीड़न के अन्तर्निहित कारणों को समझने की भी गहरी दृष्टि प्राप्त होती है।”¹

समकालीन कवियों ने स्त्रियों पर होते आ रहे अत्याचारों और उत्पीड़नों को वाणी दी है। नारियों ने जो भी उपेक्षा, तिरस्कार एवं लिंगभेद झेला है उसके लिये हमारा पितृसत्तात्मक समाज उत्तरदायी है। समकालीन कवियों ने आधी आबादी के उत्पीड़न को वाणी दी है। समाज की विडम्बना यही है कि नारी जिस पर विश्वास करती है वो ही उसके विश्वास को छलता है। जैसे किरण अग्रवाल की कविता ‘गाँठें’ से ये उदाहरण पुरुषों के चारित्रिक पतन की ओर संकेत करता है। जहाँ एक लड़की गणित की समस्या हल करने पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती है और खुशी से अपने अध्यापक को इसका श्रेय देने के लिए उसके घर चली जाती है किन्तु अध्यापक की कुत्सित मानसिकता का शिकार हो जाती है। उसका वही अध्यापक उसके साथ दुराचार करता है और गुरु-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता है।

“एक साधारण सा गणित
उसकी समझ में नहीं आया
हंसी भी वह
जला दी थी गणित की सारी किताबें उस दिन
तोड़ दिये थे सारे मैडल
बदल गया था सहसा अर्थ जीवन का।”²

जिस समाज में शिष्या गुरु के घर भी सुरक्षित नहीं तब घर आने-जाने वाले रास्ते की तो बात ही क्या की जाये? कहने का तात्पर्य है कि नारी हर जगह यौन उत्पीड़न झेल रही है। कामकाजी नारी का जीवन ऐसे ही तनावों और दबावों के बीच पिस रहा है जहाँ एक तरफ परिवार को आर्थिक रूप से सहारा

देने का हौंसला है तो दूसरी तरफ ऑफिस का माहौल और आने-जाने के रास्तों का डर उनके तनावों को बढ़ा देता है। नारी को सदैव ही अपने मान-सम्मान की रक्षा का डर सताता रहता है। ऐसे डर के माहौल में कोई भी अपने काम पर कैसे पूरा ध्यान लगा सकता है? घर और बाहर के काम के दबाव में नारी को जो सुख-सुविधा घर पर मिल जाती है, घरवाले समझते हैं जैसे वो बहुत खुशनसीब है किन्तु वो घरवाले शायद ये बात नहीं जानते कि वो किस-किस तरह के दबाव में है। जैसे ज्ञानेन्द्रपति की कविता 'बनानी बैनर्जी' से ये उदाहरण-

“वह अभी कहाँ है, क्यों है, उसकी माँ नहीं जानती
इसके सिवा कि वह अभी सोई है कमरे के सबसे अच्छे कोने में
वह अभी कहाँ है, कैसी है, उसकी चिन्तित दादी नहीं जानती
उसके सयाने हो रहे भाई नहीं जानते
उसकी नींद में वो नहीं झँकते।”³

समाज के भ्रष्ट होने और पुरुषों के चारित्रिक पतन के कारण एक कामकाजी युवती दिन भर की थकी होने के बावजूद रात में चैन से सो भी नहीं पाती बल्कि रातों-रात दुःस्वप्न देखती रहती है।

नारियाँ समाज में सदा से ही उत्पीड़ित होती रही हैं। समाज की नजरों में वो सिर्फ सेविका हैं और ये ही नजरिया उनके उत्पीड़न का कारण है। समकालीन कवियों ने स्त्री के जीवन को बखूबी पहचाना है। सुबह से लेकर रात को सोने तक के सारे कार्यों का चित्रण कवियों ने किया है। जैसे-

“सवेरे-सवेरे
उसने साफ किये
घर भर के झूठे बर्तन
झाड़ू-पोंछे के बाद
बेटियों को सँवारकर
स्कूल रवाना किया
सबके लिए बनाई चाय।”⁴

एक स्त्री की दिनचर्या जिसमें वो सबसे पहले जाग जाती है और सबके सोने के बाद सोती है और इन सब कामों में वो प्रत्येक सदस्य की सुख-सुविधा का ख्याल रखती है। उसका अपना सुख और सपने इन सबमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। नारी सबके लिए सेविका के रूप में हाजिर हो जाती है वो अपने को हर एक परिस्थिति में एडजस्ट कर लेती है। कम में ही वो अपना गुजारा भी कर लेती है। जैसे-

“दोपहर भोजन के आखिरी दौर में
आ गये एक मेहमान
दाल में पानी मिलाकर
किया उसने अतिथि सत्कार
और खुद बैठी चटनी के साथ
बची हुई रोटी लेकर।”⁵

भारतीय नारी को उसकी तमाम खूबियों के साथ इन कविताओं में चित्रित किया गया है, जहाँ पर उसके लिये परिवार और पति ही सब कुछ है उसका अपना वजूद कुछ भी नहीं। उसका जीवन परिवार को समर्पित है, घर के सभी सदस्यों को, यहाँ तक कि आराम के लिए भी उसके जीवन में जगह नहीं। वह कोल्हू के बैल की भाँति दिन-रात काम में लगी रहती है। खाना-पहनना भी जहाँ पर उनकी पसन्द से ना हो, वो उस जगह खुश भी कैसे रह सकती है। वो ऐसी जिन्दगी को सिर्फ ढो रही है ना कि जी रही है। ऐसी जिन्दगी में उसे हर पल ऐसे शख्स याद आते हैं जिन्हें उसकी परवाह थी, या जो पल वो खुशी, सुकून और अपने मन के जी पायी थी। जैसे-

“बिस्तर पर गिरने से पहले

वह अकेले में थोड़ी देर रोयी
अपने स्वर्गीय बाबा की याद में।⁶

आज भी स्त्री पारम्परिक ढांचे में ढली हुई उसी स्थिति और मानिसकता में जी रही है, पुरुष के अधीन होकर। चुपचाप उत्पीड़न को सहन कर रही है जिसके लिए हमारी पैतृक संरचना उत्तरदायी है। जहाँ लिंगभेद के कारण नारियों की दशा दयनीय है वहाँ स्त्री का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वह अन्याय, अत्याचार को चुपचाप सहती रहती है। उसकी इसी सहनशीलता के कारण शोषण और भी बढ़ता चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब नारियों के साथ दोहराया जाता रहा है। उनकी इस स्थिति को कवि ने अंधेरी सुरंग में अधूरी इच्छा—सी गुजरती हुई सी कहा है। यह कवि की नारियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता है, जहाँ कवि ने नारियों के उत्पीड़न को वाणी दी है। जैसे—

“एक औरत के हाथ जल गये तवे में
एक के ऊपर तेल गिर गया कड़ाही का खौलता हुआ
अस्पताल में हजार प्रतिशत जली हुई औरत का कोयला दर्ज कराता है
अपना मृत्युपूर्व बयान कि उसे नहीं जलाया किसी ने
उसके अलावा बाकी हर कोई है निर्दोष

गलती से उसके ही हाथों फूट गयी किस्मत और फट गया स्टोव।⁷

तमाम तरह के वहशीपन को झेलती, बद से बदतर जिन्दगी को ढोती स्त्रियाँ ससुराल और पति की हर माँग पूरी करते स्त्रियों के माता—पिता। किन्तु फिर भी नारियाँ अमानवीय व्यवहार झेलने को विवश हैं। कभी ये व्यवहार वो मजबूरी में झेलती हैं तो कभी इस तरह के व्यवहार को अपनी किस्मत मानकर। वास्तव में नारी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हमारा मूल्यविहीन होता समाज है, जो सब कुछ देखकर, जानकर भी चुप है और कोई भी कदम इन स्थितियों में बदलाव के लिए नहीं उठाता और ना ही ऐसी परिस्थितियों में कोई सहायता करता है, जिसके लिये नारी दायम दर्जे की है।

सरकारी सुख—सुविधाओं की बात करें तो सम्पन्न औरतों के लिए संसद में सीटे बढ़वाने की बात की जाती है पर आज भी नारियों का एक बड़ा तबका मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जो आज भी वही सब सहने पर विवश है—

“एक फर्श धो रही है और देख रही है राष्ट्रीय चैनल पर फैशन परेड
एक पढ़ रही है न्यूज कि संसद में बढ़ायी जायेगी उनकी तादाद।⁸

हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति हमेशा दयनीय रही है। लड़कियों की शादी कर माता—पिता अपने कर्तव्यों का पूरा होना समझ लेते हैं, उसके बाद चाहे वो कैसी ही यातनायें, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहती रहे। चाहे उसे जिन्दा जला दिया जाये, मार दिया जाये, वो तनाव और यातना से पागल हो जाये या स्वयं को क्यों न मार दे। समकालीन कविताओं में इन सभी परिस्थितियों में संघर्षरत नारी की वेदना को वाणी दी गयी है। साथ ही इन कविताओं में नारियों में आई स्वत्व की भावना, आत्मबोध, स्वाभिमान और संघर्षरत नारियों को भी अभिव्यक्ति मिली है। सदियों से दर्द और अमानवीय व्यवहार को सहती नारी ने अब और सहन ना करने का संकल्प लिया है। इसीलिये तो स्वप्न अब उसे डराते नहीं अपितु स्वयं की मुक्ति के लिए जागरूक करते हैं। जैसे—

“बार—बार भागती रही
बार—बार हर रात एक ही सपना देखती
ताकि भूल ना जाये मुक्ति की इच्छा
मुक्ति न भी मिले तो बना रहे मुक्ति का स्वप्न
बदले न भी जीवन तो जीवित बचे बदलने का यत्न।⁹

अनेक यातनाओं को सहन करने के बावजूद नारी का जीवन के प्रति आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति इन पंक्तियों में स्पष्ट हुई है। वो हर उस बन्धन को जो उसे सेविका या गुलाम समझता है, से

मुक्ति की इच्छा रखती है और अपने अस्तित्व को लेकर प्रयासरत है। इस दौर की कविताओं के माध्यम से कवि नारी को उन सब कमियों के प्रति सचेत करते हैं, जो उन्हें प्रताड़ित करने के कारण रहे हैं जैसे अज्ञानता, अशिक्षा, अतिशय भावुकता आदि। जैसे—

“उठो, कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो
जैसे तूफान से बवण्डर उठता है
उठती है राख में दबी चिनगारी।”¹⁰

समकालीन कवितायें नारियों के जागरण का उद्घोष भी करती हैं। सदियों से उपेक्षित, पददलित महिलायें अपना वजूद मिटाकर परिवार, समाज को बनाती आयी हैं। बदले में उन्हें क्या मिला, उपेक्षा, तिरस्कार, यातनायें जबकि वो सभी को प्यार, सम्मान और अधिकार ही देती आयी हैं। उन्हें सिर्फ कर्तव्यों का पालन याद रहा, अपना अधिकार लेना नहीं। समय के साथ, शिक्षा और ज्ञान के आ जाने से नारियों में अस्तित्वबोध का भाव भी जाग्रत हुआ है। ये कवितायें उस भाव की भी अभिव्यक्ति करती हैं। जैसे—

“अपनी एक ऐसी जमीन
जो सिर्फ उसकी अपनी हो
एक उन्मुक्त आकाश
जो शब्द से परे हो
एक हाथ
जो हाथ नहीं
उसके होने का आभास हो।”¹¹

स्त्री के प्रति उपेक्षा भाव, अमानवीय बर्ताव, असुरक्षित जीवन आदि को देखकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस आधी आबादी को साथ लिये बिना देश का विकास सम्भव नहीं। यह आज के समय की ज्वलंत समस्या है। जिसके प्रति समकालीन कवि सचेत और जागरूक है और इनकी कवितायें स्त्री-विमर्श को नई धार प्रदान करने वाली हैं, जिन्हें पढ़कर नारी के प्रति होने वाले अत्याचारों पर समाज का ध्यान जाता है। ये वो माध्यम भी है जो नारी को उसके अस्तित्व के प्रति सचेत भाव से मुक्त बनाने में कारगर है और यही स्त्री-विमर्श का उद्देश्य भी है और इस दृष्टि से देखें तो समकालीन कवि चाहे वह स्त्री हो या पुरुष दोनों ही की दृष्टि नारियों के प्रति जो सोच पितृ समाज की है, पर गई है और इसकी कमियों पर इन्होंने प्रहार भी किये हैं और नारी की जागरूकता को भी बढ़ाया है। इन कवियों ने स्त्री-विमर्श के विविध पहलुओं को प्रस्तुत कर प्रशंसनीय कार्य किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श, पृ० 9
2. किरण अग्रवाल, गाँठे, उन्नयन, पृ० 151
3. ज्ञानेन्द्रपति, भिनसार, पृ० 56, प्रका० वर्ष 2023, सेठ प्रकाशन
4. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, शब्द और शताब्दी, पृ० 21, प्रका० वर्ष 2003, वाणी प्रकाशन
5. वहीं, पृ० 21
6. वहीं, पृ० 22
7. उदय प्रकाश, रात में हारमोनियम, पृ० 32, प्रका० वर्ष 1998, वाणी प्रकाशन
8. वहीं, पृ० 33
9. अरुण कमल, पुतली में संसार, पृ० 24-25, प्रका० वर्ष 2004, वाणी प्रकाशन
10. निर्मला, पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, पृ० 14, वर्ष 2004, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन
11. निर्मला, पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, पृ० 9-10, प्रका० वर्ष 2004, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

मृदुला गर्ग कृत 'कठगुलाब' उपन्यास में निहित नारी चेतना

आराधना वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर - हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बबराला-गुन्नौर (संभल)

Article Info

Volume 6, Issue 5

Page Number : 23-25

Publication Issue :

September-October-2023

Article History

Accepted : 01 Sep 2023

Published : 12 Sep 2023

शोधसारांश- मृदुला गर्ग कृत कठगुलाब उपन्यास में निहित नारी-मुक्ति की चेतना का स्वरूप देखने को मिलता है। पुरुष के द्वारा नारी का शोषण तथा नारी द्वारा उस शोषण का मुकाबला कर अपने आत्मसम्मान तथा स्वयं को सिद्ध करने के लिए किये गये नारी के प्रयासों को मृदुला गर्ग द्वारा उपन्यास में रेखांकित किया गया है। नारी पात्रों के माध्यम से समकालीन नारियों को अपनी ऊर्जा का बोध कराना उनका मूल उद्देश्य रहा है।

मुख्य शब्द- मृदुला गर्ग, कठगुलाब, उपन्यास, नारी-मुक्ति, चेतना, समकालीन।

स्त्री का संघर्ष मानव सभ्यता की विकास यात्रा के समान्तर ही निरन्तरता में आरम्भ से ही समाज में विद्यमान रहा है। देश-काल के साथ इस संघर्ष का केवल स्वरूप ही बदलता रहा है। मूलस्वर में सामन्तीयुग से लेकर आज के आधुनिक युग तक स्त्री का संघर्ष एक जैसा ही रहा है। हमारे समाज में स्त्री को रीति-रिवाजों में बान्धकर विभिन्न प्रकारों द्वारा शोषण किया जाता रहा है। इसी संघर्ष को सिमोन द बाउर ने अपनी पुस्तक 'द सेकेण्ड सेक्स' में बताया था कि "स्त्री पैदा नहीं होती" उसे बना दिया जाता है।¹ यह कथन देश-विदेश की सभी स्त्रियों के संघर्ष को पूर्णतया बयां करता है। भारतीय साहित्य में नारी के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य ही बताये गए हैं। स्त्री में आदर्श नारी हेतु कौन-कौन से गुण आवश्यक हैं इस पर अनेक ग्रन्थ हैं परन्तु नारी की दैहिक, मानसिक, भावात्मक समस्याओं को यथोचित महत्व नहीं मिला, उसे मात्र एक वस्तु के समान समझा गया। नारी के जीवन को आत्मानुभूतिपूरक समझने का प्रयास नहीं किया गया।

लेखिका रेखा कास्तकार स्त्री-विमर्श के सरोकार पर बात करते हुए कहती है कि "स्त्री विमर्श का सरोकार जीवन और साहित्य में स्त्री-मुक्ति के प्रयासों से है। स्त्री की स्थिति की पड़ताल उसके संघर्ष एवं उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ बदलते सामाजिक सन्दर्भों में उसकी भूमिका तलाशे गये रास्तों के कारण जन्में नये प्रश्नों के टकराने के साथ-साथ आज भी स्त्री की मुक्ति का मूल उसके मनुष्य के रूप में स्वीकारेजाने का प्रश्न है।"²

समकालीन साहित्य की प्रत्येक विधा स्त्री जीवन के सभी संघर्षों को स्वर प्रदान करती है। नारी का संघर्ष पुरुषों से बराबरी करने या उनसे आगे निकल जाने का नहीं बल्कि उसका संघर्ष समाज में परिवार में स्वयं को स्थापित करने तथा अपनी अस्मिता की तलाश के लिये है। अस्मिता एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को पहचान के एक अलग धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। डॉ० सुरेश चन्द्र गुप्ता लिखते हैं- "अस्मिता को परिभाषित करना कठिन है फिर भी मैं हूँ से लेकर मैं किस लिये हूँ तक की अन्तर्यात्रा कई पडावों से होकर अन्ततः अस्मिता के गन्तव्य पर पहुँचकर ही पूरी होती है।"³

स्त्री-विमर्श उत्तर-आधुनिक की धुरी पर खड़ा एक सशक्त साहित्यिक विमर्श है। स्त्री-विमर्श केवल स्त्री की मुक्ति या पुरुष की बराबरी का आख्यान नहीं है। बल्कि अत्यन्त गहन अर्थवाला यह शब्द है नारी मुक्ति के साथ-साथ नारी की अस्मिता, चेतना व

स्वाभिमान को भी अपने में समेट लेता है। इसे ध्यान में रखकर ही समकालीन महिला कथाकारों ने जीवन के बहुविध पक्षों को लेकर लेखन कार्य किया है। तथापि इसमें सन्देह नहीं है। कि इसके केन्द्र में नारी ही है।

कालक्रम के अनुसार देखा जाये तो पहले लेखिकाओं की रचनाधर्मता प्रमुखतः उपदेश प्रधान रहा करती थी। लेखिकाओं का ध्यान नारी की दुर्दशा की ओर जा तो रहा था लेकिन वह उस दिशा में कुछ क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा पा रही थी वह उसमें परम्परागत दृष्टिकोण ही अपना रही थी। लेकिन आगे चलकर लेखिकाओं ने अपने भावनात्मक पक्षों को साहित्य के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया।

कृष्णासोवती, चित्रा मुग्दल, मंजुल भगत, उषा प्रियम्बदा, ममता कालिया आदि लेखिकाओं ने समाज में व्याप्त विभिन्न विद्वेषताओं राजनैतिक-आर्थिक मुद्दों तथा स्त्री- अस्मिता पारिवारिक घुटन आदि को अपने कथा साहित्य का प्रमुख विषय बनाया है। तमाम दूसरे विषयों के बावजूद इनके साहित्य में स्त्री-मुक्ति का प्रश्न ही केन्द्र में रहा है। मृदुला गर्ग भी उन महिला रचनाकारों में से एक है, जिन्होंने अपने साहित्य में स्त्री मुक्ति के प्रश्न को साहस के साथ उजागर किया हालांकि उनमें कथा साहित्य का आधार स्त्री-स्वातंत्र्य पर स्थिर जरूर है तथापि वे स्त्री-मुक्ति को अन्य समकालीन लेखिकाओं की तरह नहीं देखती हैं। उनका ट्रीटमेंट अपने समकालीनों से अलग दिखाई देता है। उनके लिये समाज में पुरुषों की बराबरी कर लेना या पुरुषों से आगे बढ़ जाना तथा सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर शारीरिक रूप से स्वतन्त्र हो जाना मात्र ही स्त्री-स्वतन्त्रता नहीं है। मृदुला गर्ग जी के लिये स्त्री मुक्ति का अर्थ तन और मन दोनों की मुक्ति में निहित है। वे फेमिनिज्म का अर्थ दरअसल सोच की जकड़बंदी मुक्ति के रूप में लेती हैं। मृदुला जी नारी को परम्परागत सोच से मुक्ति दिलाकर उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। स्त्री-मुक्ति का उपाय बताते हुये मार्क्स एंजेल्लस ने भी कहा था- "स्त्रियों की मुक्ति की पहली शर्त यह है कि पूरी नारी जाति फिर से सार्वजनिक उद्योग में प्रवेश करें और आवश्यकता है कि समाज की आर्थिक इकाई होने का वैयक्तिक पारिवारिक गुण नष्ट कर दिया जाए।"⁴

समकालीन बहुचर्चित महिला लेखिकाओं में मृदुला गर्ग अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुकी है। मृदुला गर्ग अपनी लेखनी साहित्य के सृजन में निरन्तर चलाती आ रही है। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अतिरिक्त निबन्ध, नाटक, संस्मरण भी लिखे हैं। मुख्य रूप से उपन्यास लेखन को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। ये स्वयं कहती है- "उपन्यास को मैंने प्राथमिकता दी क्योंकि मैं जो कहना चाहती थी वह कहानी में सीमित नहीं कर पाती थी। कहानियों में मैंने क्षण को पकड़ा है और उपन्यास में जीवन की विस्तीर्णता को। थीम लेने के पश्चात् मुझे लगता है कि मैं उसको कहानी में पूरा नहीं कर पा रही हूँ इसलिये उपन्यास को ही प्राथमिकता देती हूँ।"⁵ मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों के शोषण दमन बलात्कार का हृदय विदारक चित्रण किया है। साथ ही वे इन शोषित स्त्रियों के आत्मनिर्भर और स्वालंबी रूप को भी चित्रित करती है। मृदुला गर्ग का "कठगुलाब" उपन्यास आधुनिकता के नए प्रतिमानों के साथ उभर कर सामने आता है और स्त्री पुरुष के आधुनिक संबंधों की चर्चा करने वाला यह उपन्यास नई चेतना को नए स्वर और तेवर के साथ प्रस्तुत करता है।

मृदुला गर्ग ने कठगुलाब उपन्यास में स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व को अभिव्यक्त किया है। 'कठगुलाब' उपन्यास में निहित नारी चेतना के साथ दृष्टिगत होती है। काव्यायनी मृदुला गर्ग के सम्बन्ध में लिखती है- "मृदुला गर्ग जी यह साफ कर देती हैं कि वे स्त्री की उपेक्षा या उसकी अस्मिता के प्रश्न जैसे किसी भी सवाल को स्वतन्त्र स्वायत्त रूप में ही नहीं देखती बल्कि पूरे समाज की अन्य विसंगतियों के साथ देखती है।"⁶

नारी चेतना के द्वारा ही कठगुलाब उपन्यास की नारी पात्रों में भी मुक्ति की आकांक्षा है। कठगुलाब के नारी पात्र स्मिता, मारियान, नर्मदा असीमा पुरुष पात्रों से शोषित हैं परन्तु वे कभी भी अपने आपको कमजोर नहीं होने देती है वे उन परिस्थितियोंसे डटकर सामना करती है और अपने आपको आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाती हैं। मृदुला गर्ग ने स्त्री जाति पर होने वाले अत्याचारों की न केवल गाथा प्रस्तुत की है बल्कि यह भी दिखाया है कि पूरब और पश्चिम में पुरुष मानसिकता लगभग समान है। बस में सफर करते या भीड़-भाड़ वाले इलाके से पैदल चलते वक्त भेड़िए पुरुष की लार टपकाती नजरों से किसी भी वर्ग की स्त्री नहीं बर्चीं।

कठगुलाब उपन्यास की नारी पात्र स्मिता आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी होना चाहती है। अपने जीजा द्वारा शोषित किये जाने पर भी वह अपने आप को मजबूत बनाकर अपने ऊपर हुये अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहती है। वह कानून का दरवाजा नहीं खटखटाती है।

बल्कि स्वयं शक्तिरूपा बनने के लिये अपने अन्दर ऊर्जा को समेटती है वह स्वयं कहती है- "पस्त होकर भी मंसूबा बदलती नहीं थी. अगले दिन फिर वही दृश्य जीती थी और निश्चय करती थी कि एक दिन.. .. वक्त आने पर..... ताकतवर हो लेने पर..... बहुत जल्दी..... मैं ठीक ऐसे ही उसे नर पिशाच को उसके किए की सजा दूंगी।"⁷

स्मिता आत्मकेन्द्रित नारी पात्र है। लेकिन अपने ऊपर हुये अत्याचार का प्रतिशोध लेने वह उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमेरिका जाने को तैयार है। अमेरिका में वह राँ संस्था में काम करती है जहाँ पर वह पीड़ित एवं दुखी नारियों की कहानी सुनकर अपने ऊपर हुये अत्याचार को भूल जाती है और वह कहती है- "मैंने पाया कि मैं पहले से कहीं ज्यादा हँसने लगती थीं। दुनिया को और खुद को कम गम्भीरता से लेने लगी थी। इतनी-इतनी औरतों की गुस्से भरी कहानियों के बीच मेरा आक्रोश कहीं बिना जाता था"⁸

मारियान एक विदेशी पात्रा हैं जो राँ नामक संस्था में काम करती है। मारियान अपने पति से पीड़ित एवं शोषित होती है। लेकिन अन्त में वह अपने पति से अलग होकर अपने आपको "औपन्यासिक" क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम होती है।

नर्मदा दूसरों के घरों में काम करने वाली एक अशिक्षित नारी पात्र है वह अपनी सगी बहन और जीजा के कुटनीति का शिकार बनती है और असीमा की सहायता से वह आत्मनिर्भर बनती है। नर्मदा स्वयं काम करके अनाथ बच्चों को संभालती है। और नारी कल्याण को लक्ष्य करके नारी को आत्मनिर्भर बनाने में अपना समय व्यतीत करती है।

उपन्यास की नारी पात्र असीमा अलग चरित्र की है। वह कभी भी किसी पुरुष से पीड़ित व शोषित नहीं होती है। वह पुरुषों से नफरत करती है। वह स्वयं कहती है-" मुझे मर्दों से नफरत है। सब एक से एक बढकर हरामी होते हैं। सबसे बड़ा हरामी था मेरा बाप"⁹ उसके पिता का माँ के प्रति जो व्यवहार था उसकी वजह से वह पुरुषों से नफरत करने लगी। नमिता का पति जब असीमा के सामने नमिता को पीटने लगता है तो वह अपने कराटे प्रशिक्षण का प्रयोग कर उसे पीटती है और वह महसूस करती है कि हरामी न0 1 को पीटकर जो आनन्द मिला था वह अपनी जगह था। उससे बड़ा सुख इस अहसास का था कि मैं किसी भी मर्द को पीट सकती हूँ। यही नहीं मेरे हाथ ऐसा कारगर नुस्खा लग गया था जिसे मैं अपनी साथिन औरतों के साथ बाँट सकती थी।"¹⁰

मृदुला गर्ग कृत कठगुलाब उपन्यास में निहित नारी-मुक्ति की चेतना का स्वरूप देखने को मिलता है। पुरुष के द्वारा नारी का शोषण तथा नारी द्वारा उस शोषण का मुकाबला कर अपने आत्मसम्मान तथा स्वयं को सिद्ध करने के लिए किये गये नारी के प्रयासों को मृदुला गर्ग द्वारा उपन्यास में रेखांकित किया गया है। नारी पात्रों के माध्यम से समकालीन नारियों को अपनी ऊर्जा का बोध कराना उनका मूल उद्देश्य रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रभा खेतान, स्त्री उपेक्षिता (भूमिका भाग से), हिन्दी पोकेट बुक, नई दिल्ली, 2008
2. रेखा कास्तकार, स्त्री चिन्तन की चुनौतियों, पृ0 सं0 25, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
3. मृणाल पाण्डेय, स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति, पृ0 14, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
4. दर्शन पाण्डेय, नारी अस्मिता की परख, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004
5. डॉ0 तारा अग्रवाल, मृदुला गर्ग का कथा साहित्य, पृ0 सं0 30
6. मृदुला गर्ग, चर्चित कहानियाँ- भूमिका से
7. मृदुला गर्ग, कठगुलाब, पृष्ठ स0 24 भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2001
8. मृदुला गर्ग, कठगुलाब, पृष्ठ स0 54 भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2001
9. मृदुला गर्ग, कठगुलाब, पृष्ठ स0 155 भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2001
10. मृदुला गर्ग, कठगुलाब, पृष्ठ स0 167 भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2001

भारत के गाँव : मिथक और वास्तविकताएँ

अच्छेलाल प्रजापति

पीजीटी-भूगोल, राजकीयकृत +2 उच्चविद्यालय हरिनामांड, चैनपुर, पलामू, झारखण्ड।

Article Info

Volume 6, Issue 5

Page Number : 26-31

Publication Issue :

September-October-2023

Article History

Accepted : 01 Oct 2023

Published : 15 Oct 2023

शोधसारांश- भारतीय गाँवों को एक "अविवृत" एवं "पृथक" प्रणाली के रूप में चित्रित किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति की एक रिपोर्ट में एक ब्रिटिश प्रशासक, चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय गाँव को अखंड, सूक्ष्म और अपरिवर्तनीय इकाई के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने कहा, "भारतीय ग्रामीण समुदाय "लघु गणराज्य" हैं, जिनके पास लगभग वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए और वे किसी भी बाह्य प्रभाव से लगभग स्वतंत्र हैं।"

संकेतशब्द : गाँव, सामाजिक संरचना, धार्मिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना।

हाल के ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय गाँव शायद ही कभी गणतंत्र थे। भारत के गाँव कभी भी आत्म निर्भर नहीं थे। भारतीय गाँवों का संबंध सम्पूर्ण समाज से रहा है। अतीत काल से ही भारत में प्रवासन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, काम और व्यापारिक गतिशीलता, प्रशासनिक संबंध, अंतर-क्षेत्रीय बाजार, अंतर-ग्राम आर्थिक व जाति सम्बन्ध और धार्मिक तीर्थ यात्राआदि प्रचलित थे तथा गाँव को पड़ोसी गाँवों और सम्पूर्ण समाज से जोड़ रहे थे। आधुनिक काल में आधुनिकीकरण की नई शक्तियों ने अंतर-ग्रामीण और ग्रामीण शहरी संपर्क को बढ़ावा दिया।

गाँव क्या है?- भारत में सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 'गाँव' को राजस्व इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार के लिए गाँव से तात्पर्य एक राजस्व गाँव है। जिसमें एक बड़ा गाँव या छोटे गाँवों का समूह शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, जनगणना आयोग के अनुसार गाँव की पहचान उसके नाम से की जाती है जिसकी निश्चित सीमाएँ होती हैं। भारतीय जनगणना ने गाँव को परिभाषित किया है कि "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मूल इकाई राजस्व गाँव होता है जिसकी निश्चित सर्वेक्षित सीमाएँ होती हैं। राजस्व गाँव में कई बस्तियाँ शामिल हो सकती हैं लेकिन पूरे गाँव को जनगणना के आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए एक इकाई माना गया है। गैर-सर्वेक्षित क्षेत्रों जैसे वन क्षेत्रों के भीतर गाँव, प्रत्येक वन क्षेत्र अधिकारी की इलाके के भीतर स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ प्रत्येक आवास क्षेत्र को एक इकाई के रूप में माना जाता है।"

ग्रामीण सामाजिक गठन के निर्धारक- ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि ग्रामीण सामाजिक जीवन या ग्रामीण जीवन शैली कुछ कारकों के परस्पर क्रिया का परिणाम है। इन्हीं कारकों ने ग्राम्य जीवन के सामाजिक गठन को निर्धारित किया है।

जाति, गोत्र, कुटुम्ब, राजनीति या अर्थव्यवस्था सभी कारकों के समूह द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो गाँव की बस्ती के लिए विशिष्ट हैं। वे कारक इस प्रकार हैं:

ग्रामीण सामाजिक गठन के निर्धारक

भौगोलिक पर्यावरण	सामाजिक वातावरण	सांस्कृतिक पर्यावरण
स्थान	प्राथमिक समूह संपर्कों की प्रबलता।	सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की सरलता
जलवायु	सामाजिक भेदभाव	सामाजिक नियंत्रण
स्थलाकृति	सामाजिक स्तरीकरण	ग्रामीण ज्ञान और कौशल
प्राकृतिक संसाधन	प्रवासन और गतिशीलता	पदानुक्रम और जीवन स्तर

भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना- भारत प्राचीन सभ्यता का देश है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व अपने उत्कर्ष पर थी। तब से भारत में ग्रामीण और शहरी केंद्र सह-अस्तित्व में थे। केवल ऋग्वैदिक काल (लगभग 1500-1000 ई.पू.) के दौरान लोग बसे हुए गांवों में रहते थे। उस संक्षिप्त अंतराल में किन्हीं कारणों से शहरी केंद्र समाप्त हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मुख्य प्रकार के आवास प्रतिरूप देखे गए हैं। 1. सबसे आम प्रकार पूरे देश में पाए जाने वाला प्रतिरूप केंद्रीकृत गांव हैं। यहां, घरों का तंग समूह ग्रामीणों के खेतों से घिरा रहता है। इस मामले में कुछ गांवों से एक बाहरी टोला या कई उपग्रह बस्तियाँ भी जुड़ी हुई पाई जाती हैं। 2. कुछ हिस्सों में रैखिक बस्तियाँ हैं। इस तरह की बस्तियों में, घर क्रमशः रैखिक रूप में फैले होते हैं, प्रत्येक घर अहाते से घिरे होते हैं। हालांकि, जहां एक गांव समाप्त होता है, दूसरा प्रारम्भ हो जाता है। जिसे भौतिक रूप से सीमांकन करना बहुत कठिन हो जाता है 3. तीसरे प्रकार का प्रतिरूप प्रकीर्ण होता है। इसमें घर बिखरे या दो-तीन घरों के समूह में होते हैं। इस मामले में भी गांवों का भौतिक सीमांकन स्पष्ट नहीं हो पाता है। ऐसी बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय की तलहटी, गुजरात के उच्च क्षेत्रों और महाराष्ट्र की सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती हैं।

ग्रामीण जीवन की विशेषता - ग्रामीण लोगों का प्रकृति से सीधा संबंध है। भूमि, पशु और वनस्पति जीवन से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष जुड़ाव पाया जाता है। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। भारत में लंबे समय से ग्रामीण सामाजिक संस्थाएँ परिवार, रिश्तेदारी, जाति, वर्ग जैसी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और यही गाँव की ऐतिहासिक जड़ें और संरचनाएं हैं। जो ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक भाग में परिलक्षित होती हैं

गाँव और अर्थव्यवस्था- यह धारणा कि पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे, जो जजमानी प्रणाली, अनाज में भुगतान (वस्तुविनिमय) और अल्प विकसित संचार द्वारा निर्मित हुआ था, यथार्थ नहीं है। वास्तविकता यह है कि पारंपरिक भारत में पड़ोसी गांवों में साप्ताहिक बाजार मौजूद थे, यह प्रमाणित करता है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं जैसे शादियों के लिए आवश्यक चांदी और सोना आदि हेतु शहरों पर निर्भरता नहीं थी लेकिन गाँवों की निर्भरता समीपस्थ साप्ताहिक बाजारों पर अवश्य थी। ये बाजार न केवल आर्थिक उद्देश्य की बल्कि राजनीतिक, मनोरंजन और सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति करते थे। इसी प्रकार सभी दस्तकार और सेवाप्रदायी जातियाँ विशेषकर छोटी बस्तियों में नहीं रहती थीं। जैसा कि प्रोफेसर काशीनाथ सिंह (1972) ने भारतीय ग्रामों की सामाजिक-स्थानिक संरचना की व्याख्या को धार्मिक-सांस्कारिक और धर्म निरपेक्ष प्रभावी प्रतिमान के माध्यम से किया है। जिसमें उन्होंने विभिन्न जातीय संरचना वाले गांवों एवं नगलों की आर्थिक बाध्यताओं और प्रकार्यात्मक निर्भरताओं को उजागर किया है।

पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान छोटी बस्तियों का अनुपात बहुत अधिक रहा होगा क्योंकि पूर्वब्रिटिश शासन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया था। सिंचाई ने क्षेत्र पर बड़ी संख्या में लोगों को सक्षम बनाया। गाँवों के अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि कुछ सेवाप्रदायी जातियाँ कई गाँवों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। ग्रामीण हमेशा आसपास के गाँवों पर निर्भर रहते थे। शहरी आबादी खाद्यान्न, प्रसंस्कृत भोजन और हस्तशिल्प के लिए कच्चे माल की बुनियादी जरूरतों के लिए गाँव की उपज पर निर्भर रहते हैं। भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारतीय ग्रामीणों को जूट और कपास जैसे उत्पादों के माध्यम से विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। 20वीं शताब्दी के दौरान, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद, औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ, नए आर्थिक अवसरों की उपलब्धता ने गाँव को व्यापक आर्थिक प्रणाली का हिस्सा बना दिया है।

एम.एस.ए. राव ने भारत में ग्रामीणों पर तीन प्रकार के शहरी प्रभावों की पहचान की है। सबसे पहले, ऐसे गाँव हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय शहरों और यहाँ तक कि विदेशी शहरों में भी रोजगार हेतु प्रवास किया है। प्रवासी गाँव में रह रहे अपने परिवारों को नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। शहरी रोजगार से अर्जित धन का उपयोग उनके गाँवों में अच्छा घर बनाने, शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षण संस्थानों की स्थापना आदि के लिए दान देने, भूमि और उद्योग में निवेश करने के लिए किया जाता है। जिसके कारण उनके परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इस प्रकार शहरी प्रभाव गाँवों में महसूस किया जाता है, भले ही वे भौतिक रूप से किसी शहर या कस्बे के पास स्थित न हों।

दूसरे प्रकार का शहरी प्रभाव उन गाँवों में देखा जाता है जो एक औद्योगिक शहर के पास स्थित हैं। जिनकी भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से अधिग्रहित की गई। उन क्षेत्रों में अप्रवासी श्रमिकों का प्रवाह अधिक हो जाता है जिससे गाँव में किराये के घरों और बाजार की मांग को बढ़ाता है। जिसका प्रभाव ग्राम अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है। गाँव पर तीसरे प्रकार का प्रभाव महानगरीय शहरों का विकास है। जैसे-जैसे शहर का विस्तार होता है, यह बाहरी इलाकों में स्थित गाँवों को आत्मसात कर लेता है। कई गाँव की भूमि उपयोग शहरी विकास के लिए किया जाता है। इन भूमिहीन गाँवों के ग्रामीण, जिन्हें भूमि के बदले नकद मुआवजा मिलता है, नगरीय क्षेत्र से दूर की जमीन क्रय करते हैं, वाणिज्य में निवेश कर सकते हैं या धन को विलासिता पूर्ण जीवन पर बर्बादी कर देते हैं। ग्रामीण आमतौर पर शहरी रोजगार की तलाश करते हैं। शहर के किनारे बसे गाँव जिनकी भूमि अभी तक अधिग्रहित नहीं हुई है, बाजार हेतु बागवानी, डेयरी फार्मिंग और मुर्गी पालन में संलग्न हो सकते हैं।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में भी भारतीय गाँव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थे। ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ औद्योगीकरण और शहरीकरण में स्वतंत्रता के बाद गति प्राप्त हुई। जिससे गाँव व्यापक रूप से आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा बन गये हैं। ग्रामीण इलाकों के नियोजित विकास ने परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह किया है।

ग्राम, जाति और नातेदारी व्यवस्था- गाँव में जातियों की एक ऊर्ध्वाधर अन्योन्याश्रितता होती है, यानी विभिन्न जातियों के बीच संबंध जजमानी व्यवस्था में प्रतिबिम्बित होता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर संबंधों को जाति और रिश्तेदारी के क्षैतिज बंधनों से अलग कर दिया जाता है। यानी, जजमानी व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति से सम्बन्ध तो रख सकती है लेकिन अलग-अलग जातियों में वैवाहिक या रिश्तेदारी सम्बन्ध नहीं हो सकता। एक जाति के भीतर संबंध दूसरे गाँव और कस्बों तक फैले हुए मिलते हैं। एक जाति के रिश्तेदार अलग-अलग गाँवों में रहते हैं और जन्म, शादी और मृत्यु जैसे विभिन्न अवसरों पर उन से विचार-विमर्श करते हैं। जरूरत के समय मदद हेतु एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। उत्तर भारत में जहाँ सगोत्र विवाह के साथ गाँव बहिर्गमन पाया जाता है। जिसमें किसी को अपने बेटे या बेटी के वैवाहिक सम्बन्ध हेतु गाँव के बाहर जाना पड़ता है। दक्षिण भारत में ग्राम बहिर्गमन आवश्यक नहीं है। अपने गाँव में ही मौजूद रक्त सम्बन्धों में वैवाहिक सम्बन्धों

पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ लोग वैवाहिक सम्बन्ध हेतु अन्यत्र गांवों में गमन करते हैं। चूंकि सजातीय विवाह एक नियम है, इसलिए किसी के परिजन आमतौर पर किसी की जाति से संबंधित होते हैं। जातिगत संबंधों और अन्य जातिगत मामलों को जाति पंचायत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके सदस्य विभिन्न गांवों से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व ब्रिटिश भारत में, जातीय संबंधों का क्षेत्रीय विस्तार कई छोटे राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के साथ-साथ सुलभ परिवहन और संचार साधनों के अभाव में सीमित था। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाए गए देश के एकीकरण और बेहतर सड़कों और रेलवे, सस्ते डाक और छपाई की शुरुआत के साथ, अंतर्राज्यीय संबंधों में तेजी से प्रसार हुआ क्योंकि एक दूसरे के साथ नियमित संपर्क में रहना आसान हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव हमेशा रिश्तेदारी और जाति के उद्देश्य से अन्य गांवों और कस्बों के साथ संबंध रखता है। यह पूर्व ब्रिटिश भारत में सीमित था क्योंकि संचार साधन बेहतर नहीं थे और छोटे राज्य का अस्तित्व था, जिनकी सीमाएं प्रभावी बाधाओं के रूप में कार्य करती थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान जातीय संबंधों का क्षेत्रीय विस्तार बहुत बढ़ गया और आजादी के बाद से इसने गांव को बहुत व्यापक क्षेत्र से जोड़ दिया।

गाँव और धार्मिक व्यवस्था - किसी भी भारतीय गाँव के धर्म का अध्ययन गाँव की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं और व्यापक भारतीय सभ्यता के बीच परस्पर क्रिया की दोहरी प्रक्रिया को दर्शाता है। रॉबर्ट रेडफ्रील्ड से 'महान परंपरा' और 'छोटी परंपरा' की अवधारणाओं को लेते हुए मैकिम मैरियट बताते हैं कि अनुष्ठान और विश्वास के कुछ तत्व ग्राम जीवन की उपज हैं जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा के गठन के लिए ऊपर नीचे तक फैलते हैं, जबकि अन्य तत्व स्थानीय संशोधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। महान परंपरा के तत्वों का इसमें नीचे की ओर संचार हुआ। छोटी और बड़ी परंपराओं के बीच परस्पर क्रिया की इस दोहरी प्रक्रिया के दो पहलुओं को संदर्भित करने के लिए मैरियट ने क्रमशः 'सार्वभौमिकीकरण' और "संकीर्णता" शब्द दिए हैं। एम.एन.श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा भी स्थानीय स्तर पर धर्म और अखिल भारतीय हिंदू धर्म के बीच संबंध को दर्शाती है। संस्कृति तत्व उच्च जातियों से निम्न जातियों तक फैले हुए हैं। संचार के विकास और साक्षरता के प्रसार के कारण ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में सांस्कृतिक धार्मिक विचारों का प्रसार बढ़ा। पश्चिमी प्रौद्योगिकी, रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में मदद की है। इन सभी ने महाकाव्यों, रामायण, महाभारत, और मीरा, तुलसीदास जैसे संतों के जीवन के बारे में धार्मिक कहानियों को लोकप्रिय बनाया है और गांव को व्यापक ब्रह्मांड का हिस्सा बना दिया है।

गाँव और राजनीतिक व्यवस्था- उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारतीय गांवों को छोटे गणतंत्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें स्वशासन का उनका सरल रूप था और भूमि की उपज में हिस्सेदारी और युवाओं से युद्धों में भाग लेने के अतिरिक्त उच्च राजनीतिक प्राधिकरण का गाँव में हस्तक्षेप लगभग नगण्य था। गाँव जिस क्षेत्रीय इकाई का हिस्सा है उसमें वह सामान्य रूप से कार्य करता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन उस राज्य में सत्तासीन है। उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के रूप में भी वर्णित किया गया था। जिसके पास लगभग वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। भारतीय गाँव का यह वर्णन अति सरलीकृत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भारतीय गाँवों का गहन अध्ययन किया तथा भारतीय गाँवों के पारंपरिक वर्णन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने प्रदर्शित किया कि भारतीय गाँव सम्पूर्ण समाज और सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, न कि ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा वर्णित 'छोटे गणराज्यों' का। यह बिल्कुल गलत है कि पूर्व-ब्रिटिश भारत में गाँव राजनीतिक रूप से स्वायत्त थे सिवाय स्थानीय सरदार या राजा को कर का भुगतान करने और युद्ध के लिए युवक प्रदान करने के। पूर्व ब्रिटिश भारत में गाँवों का राज्य के साथ संबंध में निष्क्रिय नहीं थी। ग्रामीणों का शासकों के साथ संबंध थे। ग्रामीण विद्रोह कर सकते थे और सत्ता परिवर्तन हेतु शासक के प्रतिद्वंद्वी का समर्थन कर सकते थे। ब्रिटिश शासन ने गाँव और शासक के

बीच के रिश्ते को बदल दिया। संचार के विकास के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक विजय हुई। पुलिस, राजस्व अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी गांव में आए। इसने अंग्रेजों को एक प्रभावी प्रशासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। अंग्रेजों ने कानून अदालतों की एक प्रणाली स्थापित की। प्रमुख विवादों और आपराधिक मामलों को अदालतों में सुलझाया जाने लगा। इससे ग्राम पंचायत की शक्ति बहुत कम हो गई। आजादी के बाद से, संसदीय लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने गांव को व्यापक राजनीतिक व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण ने गांव को और भी एकीकृत कर दिया है। ग्रामीण न केवल ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों का चुनाव करते हैं बल्कि राज्य विधानमंडल और संसद के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल गाँव में घर-घर प्रचार कर रहे हैं और अपने दलों और प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि, गांव एक राजनीतिक इकाई है जिसमें दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए एक निर्वाचित पंचायत होती है। यह जिले का हिस्सा है, जिला राज्य का भाग है और राज्य भारतीय संघ का अंग है। राजनीतिक प्रणाली के इन विभिन्न स्तरों के बीच अंतः क्रिया होती है।

निष्कर्ष- संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि, गाँव की एक निश्चित संरचना है और स्वयं ग्रामीणों के लिए एक स्पष्ट इकाई है, यह उस बड़ी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के भीतर एक उप-व्यवस्था भी है जिसमें यह मौजूद है। पूर्व ब्रिटिश भारत में सड़कों की अनुपस्थिति और खराब संचारगाँवों और कस्बों के बीच सीमित संपर्क का कारण था। फिर भी परंपरागत रूप से भी गाँव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं था। अधिकांश गाँवों में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था और उन्हें उनके लिए साप्ताहिक बाजारों और कस्बों में जाना पड़ता था। फिर से प्रत्येक गाँव में सभी आवश्यक कारीगर और सेवा करने वाली जाति नहीं थी और इस उद्देश्य के लिए गाँवों के बीच परस्पर निर्भरता थी। सामाजिक रूप से भी गाँव कभी भी एक अलग इकाई नहीं रहा है। रिश्तेदारी और जाति के बंधन गाँव से बाहर तक फैले हुए थे जिसका रूप आज भी देखने को मिलता है। यह उत्तर में और भी अधिक है, जहाँ ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन पाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत देश के एकीकरण के साथ जाति बंधनों के क्षैतिज प्रसार की बाधाएं हट गईं। सड़कों और रेलवे के निर्माण, सस्ते डाक और प्रिंटिंग प्रेस ने एक बड़े क्षेत्र में फैली जाति के सदस्यों को संपर्क में रहने में मदद की। आजादी के बाद से अपने उम्मीदवार को जिताने में वोटों के महत्व ने जाति की क्षैतिज एकता को और बढ़ा दिया है। जहाँ तक गाँव के धर्म का संबंध है, स्थानीयकृत छोटी परंपरा और भारतीय सभ्यता की महान परंपरा के बीच एक सतत संपर्क सार्वभौमिकता और संकीर्णता की दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। राजनीतिक रूप से पूर्व-ब्रिटिश भारत में राजा ग्रामीणों के दैनिक मामलों में हस्तक्षेप करने, नियंत्रित करने व आदेश देने हेतु सक्षम थे। उपज के एक बड़े हिस्से का भुगतान राजा पर ग्रामीणों की निर्भरता का प्रतीक था। इसके अलावा, राजा ग्रामीणों के प्रति कई कर्तव्यों का पालन करते थे। ब्रिटिशकाल में अंग्रेजों ने देश के अधिकांश भाग को अपने शासन में ले लिया। समान कानून और केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत ने गाँव को देश की व्यापक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। संसदीय लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के साथ गाँव के एकीकरण को और बढ़ाया। इस प्रकार, गाँव और भारतीय समाज की व्यापक इकाइयों के बीच एकीकरण और निरंतरता आज बहुत अधिक दिखाई देता है लेकिन यह पारंपरिक भारत में भी काफी हद तक मौजूद थे।

संदर्भग्रंथसूची

1. Singh, K.N.1972.An Approach to the Study of the Morphology of the Indian Village, in Rural Settlements in Monsoon Asia, edited by R.L. Singh (Varanasi : NG SI), pp . 203-214.
2. Dube, S.C.1958.India'sChanging Village.London.Routledge and Kegan Paul.
3. Desai, A.R. 1961. Rural Sociology in India. Bombay. Popular Prakashan,
4. Gandhi , M.K. 1909. Hind Swaraj, Navjivan Publication. Ahmedabad
5. Mandelbaum, D.G. 1970. Society in India. Berkeley and Los Angeles
6. Srinivas, M.N.1968.Social Change in Modern India. University of California Press.
7. Singh, Yogendra. 1977. Social Stratification and Change in India. New Delhi. Manohar.
8. Singh, Yogendra. 1994. Modernisation of Indian Tradition. Jaipur. Rawat Publication.
9. तिवारी, आर.सी. 2011. अधिवासभूगोल. इलाहाबाद, प्रयाग पुस्तक भवन.

ज्ञानशौर्यम्



GYANSHAURYAM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com

Email : editor@gisrrj.com Website : <http://gisrrj.com>